भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई)

और

'यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड' (वायआईएपीएल)

के बीच

दिनांक 28 फरवरी, 2022 को

जेवर ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे पर

सीएनएस/एटीएम

(संचार, नेविगेशन और निगरानी/हवाई यातायात प्रबंधन)

सुविधाओं और सेवाओं के प्रावधान हेतु समझौता।

एएआई और वायआईएपीएल के बीच सीएनएस–एटीएम सुविधाओं और सेवाओं के प्रावधान हेतु समझौता

14.3 परिशिष्ट III – सीएनएस एटीएम समझौता

<u>सीएनएस-एटीएम सुविधाओं और सेवाओं के प्रावधान हेतु समझौता</u>

यह समझौता नई दिल्ली में दिनांक 28 फरवरी, 2022 को निम्न बीच हुआ है:

1. **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जिसे इसके बाद** भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, **1994** के तहत गठित एक प्राधिकरण के रूप में **'प्राधिकरण'** कहा गया है, जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-**110 003,** भारत में है ('प्राधिकरण'); और
2. **यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड (वायआईएपीएल),** भारतीय कंपनी अधिनियम, **1956** के तहत सीमित दायित्व के साथ निगमित एक कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय ईएससी हाउस, **155,** पहली और दूसरी मंजिल, ओखला औद्योगिक एस्टेट, चरण दो, नई दिल्ली-**110020** में है, जिसे इसके बाद ("**हवाईअड्डा कंपनी**") कहा गया है।

अभिव्यक्तियाँ "**प्राधिकरण**" और "**हवाईअड्डा कंपनी**" का अर्थ जहाँ भी संदर्भ प्रकट होता है, उसमें उनके संबंधित हित-उत्तराधिकारी और अनुमति प्राप्त समनुदेशिती शामिल होंगे और उन्हें सामूहिक रूप से "पक्षों" और व्यक्तिगत रूप से "पक्ष" के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

चूँकि: क. यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड उड़ान संचालन के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के जेवर में एक हरितक्षेत्र हवाई अड्डे को विकसित, डिजाइन, वित्तपोषित, निर्मित, पूर्ण और संचालित करने का प्रस्ताव करता है।

ख. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, **1994** के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण भारतीय हवाई क्षेत्र के भीतर और भारत के सभी नागरिक हवाईअड्डों पर विमान यातायात सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।

ग. उपर्युक्त अधिनियम के अनुसार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इस समझौते में निर्धारित नियमों और शर्तों पर हवाईअड्डे पर विमान यातायात सेवाएं प्रदान करेगा।

इस प्रकार सहमति हुई है:

1. परिभाषाएँ और व्याख्या

1.1. परिभाषाएँ

इस समझौते में जब तक कि संदर्भ अन्यथा की मांग न करे:

"प्राधिकरण कमीशनिंग सेवाएँ" का अर्थ खंड **4.3** के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ है;

"प्राधिकरण उपकरण" का अर्थ प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन अनुबंधों और दस्तावेजों (समय-समय पर संशोधित) में निहित प्रावधानों के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सेवाओं

को निष्पादित करने में सक्षम बनाने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा आवश्यक, यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड उपकरणों के अलावा अन्य सभी उपकरण है;

"प्राधिकरण संचालन सेवाएँ" का अर्थ खंड **5.1** के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ है;

"प्राधिकरण पूर्व-कमीशनिंग सेवाएँ" का अर्थ खंड **3.2** के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ है;

"प्राधिकरण सेवाएँ" का अर्थ प्राधिकरण पूर्व-कमीशनिंग सेवाएँ, प्राधिकरण कमीशनिंग सेवाएँ और प्राधिकरण संचालन सेवाएँ है;

"संबद्ध" का अर्थ है क) एक व्यक्ति जो किसी पक्ष की सहायक कंपनी है ख) एक व्यक्ति जिसकी कोई पक्ष सहायक कंपनी है ग) एक व्यक्ति जो ऐसे व्यक्ति की सहायक कंपनी है जिसकी कोई पक्ष सहायक कंपनी है इस परिभाषा के प्रयोजनों के लिए, कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की "सहायक कंपनी" है यदि बाद वाला व्यक्ति कानूनी रूप से या लाभकारी रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, पहले वाले के ऐसे शेयर का मालिक है जो शेयरधारकों की आम बैठक में सामान्य परिस्थितियों में **51%** या अधिक वोट डालने के लिए पर्याप्त हैं;

"विमानक्षेत्र प्रकाश व्यवस्था प्रणाली" का अर्थ प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन अनुबंधों और दस्तावेजों (समय-समय पर संशोधित) में निहित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तावित विमान संचालन और विमानक्षेत्र श्रेणी के लिए आवश्यक हवाई अड्डे पर प्रकाश व्यवस्था प्रणालियाँ (रनवे, टैक्सीवे, एप्रन और एप्रोच के संबंध में शामिल हैं) है;

"हवाईअड्डा" का अर्थ उत्तर प्रदेश राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में जेवर में प्रारंभिक चरण से मिलकर बनने वाला ग्रीनफील्ड घरेलू हवाईअड्डा है और इसमें इसकी सभी इमारतें, उपकरण, सुविधाएं और प्रणालियाँ शामिल हैं और इसमें, जहां परिस्थितियां आवश्यक हों, इसका कोई भी विस्तार शामिल है;

"हवाईअड्डे की शुरुआत की तिथि" का अर्थ वह तिथि है जिस दिन प्रारंभिक चरण का व्यावसायिक प्रचालन शुरू होता है;

"हवाईअड्डे के प्रारंभ होने की लक्षित तिथि" का अर्थ वित्तीय समापन के तुरंत बाद छत्तीस (**36)** महीनों या यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा समय-समय पर संशोधित तिथि है;

"शिकागो कन्वेंशन" का अर्थ शिकागो कन्वेंशन **1944** है जैसा कि समय-समय पर संशोधित और/या पूरक किया गया है, और शिकागो कन्वेंशन के "परिशिष्ट" के संदर्भ का अर्थ ऐसे परिशिष्ट से होगा जैसा कि समय-समय पर संशोधित और/या पूरक किया गया है;

"मंजूरी" का अर्थ लिखित सहमति, लाइसेंस, अनुमोदन, अनुमति, रूलिंग, छूट, अनापत्ति प्रमाण पत्र या किसी भी प्रकृति का अन्य प्राधिकार या अनुमति है जिसे परियोजना के संबंध में समय-समय पर आवश्यक भारत सरकार से प्राप्त किया जाना आवश्यक है और/या प्रदान किया गया है;

"संचार, नेविगेशन और निगरानी / हवाई यातायात प्रबंधन सेवाएं" का अर्थ संचार**,** नेविगेशन और निगरानी और विमान यातायात प्रबंधन सेवाएं है जैसा कि अनुसूची **3** में अधिक विशेष रूप से वर्णित है**;**

"रियायत समझौता" का अर्थ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड के बीच **7** अक्टूबर**, 2020** को किया गया रियायत समझौता है जिसके तहत नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड को परियोजना के लिए रियायत प्रदान की है**;**

"सक्षम प्राधिकारी" का अर्थ भारत के कानूनों के तहत इस समझौते पर स्थापित और अधिकार क्षेत्र रखने वाली कोई भी एजेंसी**,** प्राधिकरण**,** विभाग**,** निरीक्षकालय या वैधानिक व्यक्ति (चाहे स्वायत्त हो या नहीं) है**;**

"ऋण" का अर्थ परियोजना के लिए वित्तपोषण समझौतों के तहत यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड के ऋणदाताओं को देय बकाया ऋण है**;**

"नागर विमानन महानिदेशालय" का अर्थ नागर विमानन महानिदेशालय, भारत सरकार से है**;**

"प्रभावी तिथि" का वही अर्थ होगा जैसा कि खंड **2.3** में उल्लिखित है**;**

"(अभियांत्रिकी, अधिप्राप्ति और निर्माण) ईपीसी संविदाकार" का अर्थ ऐसे संविदाओं में इस प्रकार नामित कोई भी एक या अधिक पक्ष हैं**;**

"ईपीसी संविदा" का अर्थ यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड और ईपीसी संविदाकारों के बीच किए जाने वाले या किए जाने वाले ऐसे समझौते हैं जिनके तहत ईपीसी संविदाकार हवाईअड्डे का डिज़ाइन तैयार करेंगे**,** अधिप्राप्ति करेंगे**,** निर्माण करेंगे और उसे पूरा करेंगे**;**

"मौजूदा हवाईअड्डा" का अर्थ जेवर में मौजूद वह हवाईअड्डा है जिसे "नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट" के रूप में जाना जाता है**;**

"विस्तार" का अर्थ मुख्य योजना के अनुसार समय-समय पर हवाईअड्डे पर सुविधाओं का विस्तार है**;**

"सुविधा" का अर्थ यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा हवाईअड्डे पर निर्मित किया जाने वाला विमान यातायात सेवा परिसर है**,** जिसमें एक नियंत्रण टॉवर**,** तकनीकी ब्लॉक और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मियों के लिए कार्यालय आवास के साथ-साथ साइट पर और/या साइट से बाहर नेविगेशन सहायता/राडार के लिए वातानुकूलन**,** बिजली और पानी की निरंतर आपूर्ति तथा साफ-सफाई के प्रावधान वाली इमारतें शामिल होंगी**,** जैसा कि अनुसूची **2** में अधिक व्यापक रूप से निर्धारित किया गया है**;**

"वित्तीय समापन" का अर्थ वह तिथि है जिस पर वित्तपोषण समझौते (जहाँ तक वे प्रारंभिक चरण के विकास और निर्माण से संबंधित हैं) निष्पादित किए गए हैं और उसके सभी पक्षों द्वारा वितरित किए गए हैं और उसके अंतर्गत पूर्ववर्ती शर्तें उस सीमा तक पूरी कर ली गई हैं जो

यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड को यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा आवश्यक फंडिंग के लिए, उसके द्वारा आवश्यक आहरण नोटिस देने के अधीन, तत्काल पहुंच की अनुमति देने के लिए आवश्यक हो सकती है;

"वित्तपोषण समझौते" का अर्थ (**i)** यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड को ऋण उपलब्ध कराने के लिए ऋणदाताओं के साथ यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड के समझौते और (**ii)** उपर्युक्त (**i)** में उल्लिखित समझौतों के अनुसरण में आवश्यक ऋणदाताओं के पक्ष में सुरक्षा दस्तावेज, प्रत्यक्ष समझौते और अन्य सहायक वचनबद्धता है;

"फोर्स मेज्योर" का वही अर्थ होगा जो अनुसूची **4** में निर्धारित है;

"भावी कमीशनिंग तिथि" का अर्थ वह तिथि है जिस पर खंड **4.1** के अनुसार यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सूचित किए जाने के अनुसार कोई भी भावी कमीशनिंग अवधि शुरू होगी;

"भावी कमीशनिंग अवधि" का अर्थ हवाईअड्डे के किसी भी विस्तार के लिए आवश्यक किसी भी अतिरिक्त भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उपकरण के संबंध में पक्षों के बीच सहमति के अनुसार कोई भी भावी कमीशनिंग अवधि है;

"भारत सरकार" का अर्थ भारत सरकार और उसकी कोई भी विधिवत प्राधिकृत एजेंसी, प्राधिकरण (किसी भी नियामक प्राधिकरण सहित), विभाग, निरीक्षकालय, मंत्रालय या वैधानिक व्यक्ति (चाहे स्वायत्त हो या नहीं) है जो नागर विमानन मंत्रालय के प्रत्यक्ष नियंत्रण और निर्देशन में है;

- **"यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड कमीशनिंग दायित्व"** का अर्थ वे दायित्व हैं जिन्हें खंड **4.2** के अनुसार यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा पूरा किया जाना है;

- **"यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड उपकरण"** का अर्थ अनुसूची **1** के भाग **1** में निर्धारित वस्तुएं हैं;

- **"यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड दायित्व"** का अर्थ यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड पूर्व-कमीशनिंग दायित्व, यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड कमीशनिंग दायित्व और यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड संचालन दायित्व है;

- **"यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड प्रचालन दायित्व"** का अर्थ वे दायित्व हैं जिन्हें खंड **5.3** के अनुसार यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा पूरा किया जाना है;

- **"यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड पूर्व-कमीशनिंग दायित्व"** का अर्थ वे दायित्व हैं जिन्हें खंड **3.1** के अनुसार यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा पूरा किया जाना है;

 "प्रारंभिक कमीशनिंग तिथि" का अर्थ वह तिथि है जिस दिन प्रारंभिक कमीशनिंग अवधि शुरू होगी**,** जैसा कि खंड **4.1** के अनुसार यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सूचित किया गया है**;**

 "प्रारंभिक कमीशनिंग अवधि" का अर्थ प्रारंभिक कमीशनिंग तिथि से शुरू होने वाली तीन (**3)** महीनों की अवधि है**;**

 "अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन" का अर्थ शिकागो कन्वेंशन द्वारा गठित अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन और उसका कोई भी उत्तराधिकारी है**;**

 "घटना रिपोर्टिंग प्रक्रिया" का अर्थ घटनाओं और आपातस्थितियों की रिपोर्टिंग के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा समय-समय पर सहमति व्यक्त की जाने वाली प्रक्रिया है**;**

 "प्रारंभिक चरण" का अर्थ रियायत समझौते में प्रदान किए गए अनुसार हवाई अड्डे के प्रारंभिक चरण का डिज़ाइन**,** वित्तपोषण**,** निर्माण**,** पूर्णता और कमीशनिंग है**;**

 "ऋणदाता" का अर्थ बैंक**,** वित्तीय संस्थान**,** गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और ऐसे ही अन्य निकाय हैं**,** जिन्हें प्रारंभिक चरण और/या किसी भी विस्तार के वित्तपोषण (इन उद्देश्यों के लिए इसमें कोई भी पुनर्वित्त शामिल होगा) के लिए वित्तपोषण समझौतों के तहत ऋण देय है**,** बशर्ते कि अनुसूची **5** विस्तार चरण के ऋणदाताओं पर लागू नहीं होगी**;**

 "नुकसान" का अर्थ कोई भी नुकसान**,** देनदारियां**,** लागत**,** खर्च**,** दावे**,** कार्यवाही**,** कार्रवाई**,** मांगें**,** दायित्व**,** कमियां**,** मुकदमे**,** निर्णय**,** निषेध आज्ञा**,** पुरस्कार या क्षति है**;**

 "मुख्य योजना (मास्टर प्लान)" का अर्थ यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा तैयार की गई और रियायत समझौतों से संलग्न मुख्य योजना है**,** जिसे समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है**;**

 "कार्यालय आवास" का अर्थ इस समझौते की अनुसूची **2** में निर्धारित आवास और कार पार्किंग स्थान है**;**

- **"प्रचालन रिपोर्टिंग प्रक्रिया"** का अर्थ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सेवाओं और यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड दायित्वों से संबंधित प्रावधान के दिन-प्रतिदिन के निर्वहन के संबंध में जानकारी के संचार के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा समय-समय पर सहमति व्यक्त की जाने वाली प्रक्रिया है**;**
- **"कर्मी"** का अर्थ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सेवाएं और संचार**,** नेविगेशन और निगरानी / हवाई यातायात प्रबंधन सेवाएं निष्पादित करने वाले भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कर्मी हैं**;**
- **"परियोजना"** का अर्थ हवाईअड्डे का डिज़ाइन**,** वित्तपोषण**,** निर्माण**,** पूर्णता**,** कमीशनिंग**,** रखरखाव**,** संचालन**,** प्रबंधन और विकास है**;**

- **"आरईएसए"** या **"रनवे अंत सुरक्षा क्षेत्र"** का अर्थ है विस्तारित रनवे की केंद्र रेखा के सापेक्ष सममित क्षेत्र और पट्टी के अंत से सटा हुआ क्षेत्र, जिसका मुख्य उद्देश्य रनवे से पहले उड़ान भरने या रनवे से आगे निकल जाने वाले विमान को होने वाले नुकसान के जोखिम को कम करना है;
- **"रूट नेविगेशन सुविधाएं प्रभार"** का अर्थ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के वर्तमान आदेशों के अनुसार रूट नेविगेशन सुविधाओं के प्रावधान के लिए विमानन कंपनियों और/या विमान चालकों से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा ली जाने वाली राशि है;
- **"सुरक्षा"** में कोई बंधक, गिरवी, ग्रहणाधिकार, सुरक्षा हित या अन्य शुल्क या भार और कोई अन्य समझौता या व्यवस्था शामिल है जिसका आर्थिक प्रभाव काफी हद तक समान हो;
- **"सेवा प्रदाता अधिकार धारक"** का वही अर्थ होगा जो इसे रियायत समझौते में दिया गया है;
- **"साइट"** का वही अर्थ होगा जैसा कि रियायत समझौते के तहत उल्लिखित है;
- **"राज्य समर्थन समझौता"** का अर्थ उत्तर प्रदेश सरकार, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा और उनके बीच दिनांक **1** मार्च, **2021** को किया गया समझौता है;
- **"लक्षित कमीशनिंग तिथि"** का वही अर्थ होगा जैसा कि खंड **4.1** में उल्लिखित है;
- **"टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग प्रभार"** का अर्थ संचार, नेविगेशन और निगरानी / हवाई यातायात प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने के लिए विमानन कंपनियों से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा लिया जाने वाला या लिया जाने वाला शुल्क है;

1.2. व्याख्या

इस समझौते में जब तक कि संदर्भ की मांग अन्यथा न हो:

1.2.1. संसद के किसी अधिनियम या संसद के किसी अधिनियम के किसी धारा या अनुसूची या संसद के किसी अन्य प्रावधान के किसी संदर्भ को, उस विशेष समय पर, वहां लागू किसी संशोधन, विस्तार या पुन: अधिनियमन के संदर्भ के रूप में और तब लागू सभी नियमों, आदेशों या विनियमों के रूप में माना जाएगा और प्रासंगिक अधिनियम या प्रावधान के तहत या उससे वैधता प्राप्त करेगा;

1.2.2. "निर्णय" के संदर्भ में भारतीय अधिकार क्षेत्र में कोई भी आदेश, निषेध आज्ञा, निर्धारण, डिक्री या अन्य न्यायिक या मध्यस्थ न्यायाधिकरण का उपाय शामिल है जो अंतिम और बाध्यकारी है;

1.2.3. "कानून" के संदर्भ में सामान्य कानून, भारत का संविधान और कोई भी डिक्री, निर्णय, कानून, आदेश, अध्यादेश, विनियमन, उप-नियम, संविधि शामिल हैं;

1.2.4. एकवचन के संदर्भों में बहुवचन के संदर्भ और इसके विपरीत शामिल होंगे;

1.2.5. "दिन" के संदर्भ का अर्थ कैलेंडर दिन है;

1.2.6. किसी विशेष खंड, पैराग्राफ, उप-पैराग्राफ या अनुसूची के संदर्भ, सिवाय इसके कि जहाँ संदर्भ अन्यथा की मांग करे, इस समझौते में या इसके किसी खंड, पैराग्राफ, उप-पैराग्राफ या अनुसूची का संदर्भ होंगे;

1.2.7. शीर्षक सुविधा के लिए डाले गए हैं और निर्माण के प्रयोजनों के लिए इन्हें अनदेखा किया जाना है;

1.2.8. इस समझौते में इसके बाद की अनुसूचियों में परिभाषित शब्दों के अर्थ इस समझौते में अन्यत्र उपयोग किए जाने पर अनुसूचियों में दिए गए अर्थ होंगे;

1.2.9. इस समझौते की अनुसूचियाँ इस समझौते का भाग होंगी और वे पूर्ण रूप से लागू और प्रभावी होंगी जैसे कि वे इस समझौते के मुख्य भाग में स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई हों;

1.2.10. किसी भी समझौते, विलेख, इंस्ट्रूमेंट, लाइसेंस कोड या किसी भी विवरण के अन्य दस्तावेज का कोई भी संदर्भ, किसी विशेष समय पर, उस समझौते, विलेख, लिखत, लाइसेंस कोड या अन्य दस्तावेज के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा जैसा कि तब संशोधित, परिवर्तित, पूरक, रूपांतरित, निलंबित या पुनर्नवीनीकरण किया गया हो सकता है;

1.2.11. "लिखित" और "लिखित रूप में" शब्दों में फ़ैक्स ट्रांसमिशन और मूर्त और स्थायी रूप से दृश्यमान रूप में कार्यों को पुनरुत्पादित करने का कोई भी साधन शामिल है;

1.2.12. "शामिल करना" और "शामिल" शब्दों को बिना किसी सीमा के समझा जाना है;

1.2.13. "निर्माण" के संदर्भ में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा की मांग न करे, डिज़ाइन, अधिप्राप्ति, वितरण, स्थापना, परीक्षण, पूर्णता, कमीशनिंग और निर्माण की प्रक्रिया से जुड़ी अन्य गतिविधियां शामिल हैं;

1.2.14. किसी पक्ष के संदर्भ में उसके उत्तराधिकारी और अनुमति प्राप्त समनुदेशिती शामिल होंगे;

1.2.15. खंडों के भीतर परिभाषाओं का वही अर्थ है जो उसमें उल्लिखित किया गया है; और

1.2.16. "व्यक्ति" के संदर्भ में (जैसा कि संदर्भ आवश्यक हो) कोई भी प्राकृतिक और/या न्यायिक इकाई (भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार सहित) शामिल है।

2. पूर्ववर्ती शर्तें

2.1. सेवाओं के लिए पूर्ववर्ती शर्तें

इस समझौते के प्रावधान (खंड **1.2, 10** से **12** और **14** से **19** में शामिल प्रावधानों के अलावा जो इस समझौते की तारीख से पक्षों पर बाध्यकारी होंगे) उस तारीख से प्रभावी होंगे और पक्षों पर बाध्यकारी हो जाएंगे जिस तारीख को निम्नलिखित पूर्ववर्ती शर्तें पूरी तरह से संतुष्ट हो चुकी होंगी:

- **i.** यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को इस बात की अटल सूचना प्राप्त होना कि रियायत समझौता उसके सभी पक्षों द्वारा निष्पादित और वितरित किया जा चुका है और उसमें निर्धारित सभी पूर्ववर्ती शर्तें संतुष्ट या माफ कर दी गई हैं**,** जो सूचना पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होगी**;**
- **ii.** यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट लिमिटेड) से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को इस बात की अटल सूचना प्राप्त होना कि अभियांत्रिकी**,** अधिप्राप्ति और निर्माण अनुबंध उसके सभी पक्षों द्वारा निष्पादित और वितरित किए जा चुके हैं और उसमें निर्धारित सभी पूर्ववर्ती शर्तें (इससे संबंधित किसी भी पूर्ववर्ती शर्त को छोड़कर) पूरी हो चुकी हैं।
- **iii.** यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को इस बात की अटल सूचना प्राप्त होना कि वित्तीय समापन हो चुका है**,** जो सूचना पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होगी**,** बशर्ते कि ऐसी किसी भी पूर्ववर्ती शर्त को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड के बीच लिखित समझौते द्वारा माफ किया जा सकता है।

2.2. पूर्ववर्ती शर्तों का पूरा न होना

2.2.1. पूरा न होने पर समाप्ति

यदि खंड **2.1** में निर्धारित पूर्ववर्ती शर्तें इस समझौते की तिथि के बाद बारह (**12)** महीने बाद आने वाली तिथि तक पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होती हैं या माफ नहीं की जाती हैं**,** तो यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को खंड **2.2.2** के अधीन**,** दूसरे पक्ष को लिखित में इक्कीस (**21)** दिन का नोटिस देकर इस समझौते को समाप्त करने का अधिकार होगा और ऐसे नोटिस की समाप्ति पर यह समझौता समाप्त हो जाएगा**,** बशर्ते कि यदि नोटिस अवधि के दौरान पूर्ववर्ती शर्तें संतुष्ट हो जाती हैं या माफ कर दी जाती हैं तो यह समझौता खंड **2.1** के तहत परिकल्पित रूप से लागू हो जाएगा।

2.2.2. पूर्ति के लिए समय का विस्तार

खंड **2.2.1** में निर्दिष्ट तिथि से पहले किसी भी समय**,** पक्षों को आपसी समझौते से पूर्ववर्ती शर्तों की संतुष्टि या छूट के लिए तिथि को अतिरिक्त तीन (**3)** महीने तक बढ़ाने का अधिकार होगा।

2.3. प्रभावी तिथि

खंड **2.1** के अधीन**,** यह समझौता यहाँ के पक्षों द्वारा इस पर हस्ताक्षर करने की तिथि से प्रभावी होगा (प्रभावी तिथि)।

3. सेवाओं का दायरा - पूर्व-कमीशनिंग चरण

3.1. यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड पूर्व-कमीशनिंग दायित्व वित्तीय समापन के बाद, यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड यह करेगा:

i. प्रारंभिक कमीशनिंग तिथि से **180** दिन पहले की तुलना में बाद में नहीं, अपने स्वयं के खर्च पर सुविधा का डिज़ाइन और निर्माण करेगा, सिवाय वातानुकूलन के प्रावधान के जो प्रारंभिक कमीशनिंग तिथि से **90** दिन पहले प्रदान किया जाएगा;

ii. साइट पर, या यदि हवाई अड्डे के दृष्टिकोण के संबंध में आवश्यक हो, साइट से बाहर, यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड के स्वामित्व वाले यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड उपकरणों का डिज़ाइन, अधिग्रहण और स्थापना अपने स्वयं के खर्च पर करेगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड उपकरणों के परीक्षण और/या कमीशनिंग के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, जो यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड की जिम्मेदारी होगी। यदि यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा आवश्यक हो, तो यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड उपकरणों को कैलिब्रेट करने में सक्षम बनाने के लिए यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ कैलिब्रेशन उड़ानों का समन्वय करेगा;

iii. सुविधा संचालित करने के लिए आवश्यक और आपसी सहमति से तय किए जाने वाले पानी, बिजली और वातानुकूलन, टेलीफोन, क्रैश अलार्म और अन्य सेवा मीडिया के प्रावधान को अपने स्वयं के व्यय पर स्थापित करेगा;

iv. यह सुनिश्चित करेगा कि प्रारंभिक कमीशनिंग तिथि तक या हवाईअड्डे के किसी भी विस्तार के लिए आवश्यक किसी भी अतिरिक्त यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड उपकरण के मामले में, भावी कमीशनिंग तिथि तक, यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड उपकरण अपने स्वयं के व्यय पर स्थापित, परीक्षण और कमीशन किए जाएं;

v. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उपकरणों और यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड उपकरणों के बीच के इंटरफेस की पहचान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को करेगा।

vi. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को हवाईअड्डे या उसके कर्मियों, वाहनों और एजेंटों तक ऐसी पहुँच प्रदान करेगा जैसी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण पूर्व-कमीशनिंग सेवाओं के निष्पादन के लिए उचित रूप से अपेक्षा करता है;

vii. यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड, रनवे के डिज़ाइन और विभिन्न संचार, नौवहन और निगरानी सुविधाओं के स्थान की योजना बनाने से पहले, भारतीय सर्वेक्षण विभाग या भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से प्रस्तावित हरितक्षेत्र हवा अड्डे के निकटतम भौगोलिक केंद्र से तीस समुद्री मील के क्षेत्र का सर्वेक्षण करेगा। सीएनएस/एटीएम सुविधाओं की स्थिति को अंतिम रूप देने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की सहमति प्राप्त करते समय और विभिन्न संरचनाओं आदि के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उपरोक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाएगी।

3.2. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण पूर्व-कमीशनिंग सेवाएँ

वित्तीय समापन के बाद भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण:

- **i.** भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, सुविधा में, साइट पर, या यदि हवाई अड्डे के दृष्टिकोण के संबंध में आवश्यक हो तो साइट से बाहर, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उपकरणों का डिज़ाइन, अधिप्राप्ति और स्थापना करेगा, जिनका स्वामित्व भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास होगा।
- **ii.** यह सुनिश्चित करेगा कि प्रारंभिक कमीशनिंग तिथि या भावी कमीशनिंग तिथि तक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उपकरण स्थापित, परीक्षण और कमीशन किए जाएँ। यदि यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड को अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के अनुबंधों और दस्तावेजों में निर्धारित अपेक्षाओं से ऊपर और परे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उपकरण को उन्नत करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की आवश्यकता होती है, तो ऐसे उपकरण उन्नयन की लागत यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा उठाई जाएगी।
- **iii.** भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड उपकरणों और इंटरफेस के बीच समन्वय करेगा और अनुकूलता सुनिश्चित करेगा। किसी भी पक्ष द्वारा इंटरफेस की आवश्यकता के संबंध में, उक्त इंटरफेस (इंटरफेसों) की लागत यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा उठाई जाएगी।
- **iv.** यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड के खर्च पर, यदि यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा आवश्यक हो, तो किसी भी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड उपकरण के संबंध में अभियांत्रिकी, अधिप्राप्ति और निर्माण ठेकेदारों द्वारा आयोजित किसी भी मानक परीक्षण में भाग लेगा।
- **v.** यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड के व्यय पर नक्शे, चार्ट, सर्वेक्षण, साधन दृष्टिकोण और लैंडिंग प्रक्रिया तैयार करेगा, साइट पर जाएगा और संबंधित कार्य करेगा।

3.3. समन्वय

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड स्वीकार करते हैं कि, इस समझौते के खंड **3.1, 3.2, 3.4, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2** और **5.3** के तहत अपने दायित्वों का पालन करने के लिए, प्रत्येक पक्ष को दूसरे के साथ समन्वय करने की आवश्यकता होगी और इस प्रभाव के लिए:

i. वित्तीय समापन के बाद के पहले महीने से शुरू करते हुए, पक्ष एक संयुक्त समन्वय समिति-संचार, नौवहन और निगरानी की स्थापना करेंगे जो जेवर में त्रैमासिक आधार पर या संयुक्त समन्वय समिति-संचार, नौवहन और निगरानी के किसी भी सदस्य द्वारा बुलाए जाने की आवश्यकता होने पर अधिक नियमित आधार पर बैठक करेगी;

ii. संयुक्त समन्वय समिति की अध्यक्षता यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा की जाएगी;

iii. संयुक्त समन्वय समिति-सीएनएस/एटीएम में चार सदस्य होंगे और प्रत्येक पक्ष दो सदस्यों को नामित और नियुक्त करेगा। पक्षों को संयुक्त समन्वय समिति- सीएनएस/एटीएम के समक्ष रखे जाने वाले सभी मामलों के संबंध में संबंधित पक्ष का प्रतिनिधित्व करने और उसे बाध्य करने के

लिए संयुक्त समन्वय समिति-सीएनएस/एटीएम के सदस्यों को पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजित माना जाएगा। समिति के सदस्य अपनी ओर से बैठक में भाग लेने के लिए सदस्यों के वैकल्पिक नामों को भी नामित और प्रस्तावित कर सकते हैं**;**

iv. यदि संयुक्त समन्वय समिति- सीएनएस/एटीएम किसी भी मामले पर ऐसे निष्कर्ष पर पहुँचने में असमर्थ है जो पक्षों के लिए संतोषजनक हो**,** तो किसी भी पक्ष को**,** पहले उदाहरण में**,** यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के पास ऐसे मामले को भेजने का अधिकार होगा। यदि उपर्युक्त वरिष्ठ कार्यकारी ऐसे मामले को उन्हें भेजे जाने की तिथि से **15** व्यावसायिक दिनों के भीतर हल करने में असमर्थ हैं**,** तो किसी भी पक्ष को खंड **12** के तहत समाधान के लिए मामले को अग्रेषित करने का अधिकार होगा।

3.4. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सामान्य दायित्व भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इस समझौते के निष्पादन के संबंध में यह करेगा: **i.** ऐसी जानकारी प्रदान करेगा और ईपीसी संविदाकारों के साथ बातचीत करेगा और ऐसे समय पर ताकि ईपीसी संविदाकार हवाईअड्डे के पूरा होने के साथ-साथ समय पर**,** व्यवस्थित**,** तार्किक और सुसंगत तरीके से सुविधा और कार्यालय आवास को डिजाइन और पूरा करने में सक्षम हो सकें**; ii.** अच्छे उद्योग अभ्यास के अनुसार अपने कार्य स्थल पर सुरक्षा और कार्यों की देखरेख के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा**; iii.** किसी भी कारण से हुई देरी के कारण सुविधा और/या कार्यालय आवास के संबंध में आवश्यक किसी भी पुनर्प्रोग्रामिंग में ईपीसी संविदाकार के साथ सहयोग करेगा**; iv.** सुविधा और/या कार्यालय आवास के संबंध में प्रगति में तेजी लाने के लिए ईपीसी संविदाकार र द्वारा अपनाए गए किसी भी त्वरण उपायों में ईपीसी संविदाकार के साथ सहयोग करेगा**;** और **v.** रियायत समझौते के अनुसार भारत सरकार की किसी भी कार्रवाई के कारण या सुविधा और/या कार्यालय आवास के डिजाइन या निष्पादन के कारण आवश्यक यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड के आदेश पर सुविधा और/या कार्यालय आवास पर काम को निलंबित करेगा या यदि कोई असुरक्षित स्थिति मौजूद है या होने की संभावना है या साइट पर स्थितियों द्वारा आवश्यक है।

4. सेवाओं का दायरा - कमीशनिंग चरण

4.1. प्रारंभिक कमीशनिंग अवधि और भावी कमीशनिंग अवधि की शुरुआत

4.1.1. यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड**,** यथासंभव शीघ्र और वित्तीय समापन से तीन सौ पैंसठ (**365)** दिनों के भीतर आने वाली तिथि को नवीनतम रूप से**,** भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को उस तिथि की सूचना देगा जिस पर यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड को उम्मीद है कि प्रारंभिक कमीशनिंग अवधि शुरू होगी ("**लक्षित कमीशनिंग तिथि**")।

4.1.2. यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड, उपर्युक्त खंड **4.1.1** के अनुसार यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को अधिसूचित लक्षित कमीशनिंग तिथि से कम से कम एक सौ अस्सी (**180)** दिन पहले भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को और सूचित करेगा उस तिथि की जिस पर यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड तब उम्मीद करता है कि प्रारंभिक कमीशनिंग तिथि होगी और लक्षित कमीशनिंग तिथि तदनुसार संशोधित की जाएगी।

4.1.3. यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड, उस तिथि से कम से कम तीन सौ पैंसठ दिन पहले भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सूचित करेगा जिस तिथि पर यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड को किसी भी भावी कमीशनिंग तिथि के होने की उम्मीद है।

4.2. यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड कमीशनिंग दायित्व

4.2.1. प्रारंभिक कमीशनिंग तिथि या भावी कमीशनिंग तिथि से कम से कम तीस (**30)** दिन पहले**,** जैसा भी मामला हो**,** यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को लिखित रूप में पुष्टि करेगा कि:

(i) प्रारंभिक चरण के संबंध में रनवे**,** टैक्सीवे**,** एप्रन और एप्रोच प्रारंभिक कमीशनिंग अवधि द्वारा निर्मित किए जाएंगे**,** जो प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन अनुबंधों और दस्तावेजों (समय-समय पर संशोधित) में निहित प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार हवाई अड्डे पर प्रस्तावित विमान संचालन के लिए उपयुक्त हैं और हवाईअड्डे के प्रारंभ होने की तिथि तक विमान परिचालन के लिए उपलब्ध होंगे**;**

(ii) प्रारंभिक चरण के लिए रनवे की पट्टियाँ**,** शोल्डर**,** स्टॉप वे और रनवे अंत सुरक्षा क्षेत्र तथा टैक्सीवे की पट्टियाँ और शोल्डर प्रारंभिक कमीशनिंग अवधि द्वारा निर्मित किए जाएंगे और उसके बाद प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन अनुबंधों और दस्तावेजों (समय-समय पर संशोधित) में निहित प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार**,** प्रस्तावित विमान संचालन के लिए उपयुक्त रूप से**,** रखरखाव किए जाएंगे**;**

(iii) प्रारंभिक कमीशनिंग अवधि से हवाई अड्डे की बाधा सीमा सतहों और एप्रोच तथा टेक-ऑफ क्षेत्र को बाधाओं से मुक्त रखा जाएगा या बाधाओं को प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन अनुबंधों और दस्तावेजों (समय-समय पर संशोधित) में निहित प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार अनुमेय सीमाओं तक सीमित रखा जाएगा**,** जैसा कि भारत सरकार के राजपत्र जीएसआर **751(**ई) में निहित है जिसे नागर विमानन मंत्रालय की वेबसाइट पर जीएसआर **770(**ई) द्वारा संशोधित किया गया है जिसके लिए संरचनाओं के अनापत्ति प्रमाण पत्र की सहमति हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से संपर्क किया जाएगा**;**

(iv) प्रारंभिक कमीशनिंग अवधि से बचाव और अग्निशमन सेवाओं की उचित श्रेणी को प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन अनुबंधों और दस्तावेजों (समय-समय पर संशोधित) में निहित प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार उपलब्ध कराया जाएगा**;**

(v) प्रारंभिक कमीशनिंग तिथि से यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड**,** अग्नि वॉच टॉवर में पर्याप्त स्थान प्रदान करेगा ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में संचार**,** नौवहन और निगरानी / विमान यातायात प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने के लिए एक वैकल्पिक सुविधा स्थापित करने में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मियों को सक्षम किया जा सके**;**

(vi) हवाईअड्डे के प्रारंभ होने की तिथि से परिचालन क्षेत्र के अंदर और आसपास पक्षी/पशु उपद्रव को रोकने के लिए हवाईअड्डे पर उचित व्यवस्था की जाएगी।

4.2.2. प्रारंभिक कमीशनिंग अवधि या भावी कमीशनिंग अवधि के दौरान**,** जैसा भी मामला हो**,** यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड:

i) प्रारंभिक कमीशनिंग अवधि या भावी कमीशनिंग अवधि की शुरुआत के चौदह (**14)** दिनों के भीतर**,** जैसा भी मामला हो**,** भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को लिखित रूप में पुष्टि करेगा कि यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड उपकरण की आपूर्ति और स्थापना कर दी गई है। यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को यह भी लिखित रूप में पुष्टि करेगा कि हवाईअड्डे के प्रारंभ होने की तिथि तक प्रारंभिक चरण के लिए आवश्यक ऐसे उपकरणों का परीक्षण कर लिया गया है और संचालन के लिए अनुमोदित कर दिया गया है**;**

ii) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को उसके कर्मियों**,** वाहनों और एजेंटों के लिए हवाईअड्डे तक ऐसी पहुँच प्रदान करेगा जैसी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कमीशनिंग सेवाओं के निष्पादन के लिए उचित रूप से अपेक्षा करता है**;**

iii) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कमीशनिंग सेवाएं निष्पादित करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त विद्युत ऊर्जा और पानी की निरंतर आपूर्ति प्रदान करेगा**;**

iv) उस सीमा तक जब भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यह निर्धारित करता है कि**,** हवाईअड्डे के विस्तार के परिणामस्वरूप**,** हवाईअड्डे पर विद्युत ऊर्जा की अतिरिक्त रिजर्व आपूर्ति की आवश्यकता है**,** भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण**,** यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड को अपनी अतिरिक्त आवश्यकताओं के बारे में सूचित करेगा और पक्ष भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा आवश्यक अतिरिक्त रिजर्व आपूर्ति के संबंध में चर्चा करने और समझौते पर पहुँचने का प्रयास करने के लिए मिलेंगे**;** और

v) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और/या उसके कर्मियों को ऐसी जानकारी प्रदान करेगा जिसकी वे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कमीशनिंग सेवाओं के निष्पादन के लिए उचित रूप से अपेक्षा कर सकते हैं।

vi) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को अपने दायित्वों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए परिवहन और आवास (कार्यालय**,** आवासीय और नेविगेशन सहायता/राडार के लिए भवन) प्रदान करेगा**;**

vii) विमान यातायात नियंत्रण में एसटीडी सुविधा के साथ प्रत्यक्ष टेलीफोन प्रदान करेगा।

4.3. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कमीशनिंग सेवाएँ

4.3.1. प्रारंभिक कमीशनिंग अवधि और किसी भी भावी कमीशनिंग अवधि के दौरान**,** और यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा निर्धारित हवाईअड्डा प्रचालन परीक्षणों के दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण:

i. खंड **4.2.1** के अनुसार यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड से प्राप्त नोटिस की प्राप्ति के चौदह (**14)** दिनों के भीतर**,** यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड को लिखित रूप में पुष्टि करेगा कि सभी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना कर दी गई है और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उपकरण ईपीसी संविदाकारों द्वारा प्रदान किए गए उपकरणों के साथ अनुकूल हैं**;**

ii. सभी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उपकरणों का परीक्षण करेगा और उन्हें कमीशन करेगा ताकि वे पूरी तरह से चालू हों**;**

iii. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा संचालित किसी भी प्रासंगिक वायु नौवहन और मौसम संबंधी उपकरणों और प्रणालियों के साथ और आवश्यक सीमा तक यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड उपकरणों के साथ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उपकरणों को एकीकृत करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड उपकरणों के साथ ऐसी एकीकरण की कोई भी लागत यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा उठाई जाएगी**;**

iv. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उपकरणों को कमीशन करने के लिए आवश्यक ऐसी कैलिब्रेशन उड़ानें संचालित करेगा और**,** जहाँ तक व्यावहारिक हो**,** उन उड़ानों का समन्वय यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड के साथ करेगा ताकि यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड को उसी समय यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड उपकरणों को कैलिब्रेट करने में सक्षम बनाया जा सके। संदेह से बचने के लिए**,** यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड उपकरणों को कैलिब्रेट करने के लिए यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा उठाए गए खर्च के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उत्तरदायी नहीं होगा। यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड उपकरणों को कैलिब्रेट करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा उठाए गए खर्च को यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड से वसूला जाएगा**;**

v. जहाँ उपयुक्त हो**,** हवाईअड्डे को कमीशन करने के लिए किए जाने वाले किसी भी चेक और प्रक्रियाओं के निष्पादन में यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड और नागर विमानन महानिदेशक की सहायता करेगा**;**

vi. अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के अनुबंधों और दस्तावेजों (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार हवाईअड्डे पर और हवाईअड्डे के आसपास के हवाई क्षेत्र में विमानों के सुरक्षित**,** तीव्र और व्यवस्थित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सेवाओं से संबंधित ऐसी सभी प्रक्रियाओं**,** मैनुअल और चार्टों को तैयार करेगा और प्रकाशित करेगा**;**

vii. अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के अनुबंधों और दस्तावेजों के अनुसार और समग्र हवाई क्षेत्र प्रबंधन**,** रक्षा की आवश्यकताओं और उड़ान सूचना क्षेत्र जिसमें यह संचालित होता है**,** के अनुरूप यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड के साथ संचालन रिपोर्टिंग प्रक्रिया और घटना रिपोर्टिंग प्रक्रिया पर आपसी सहमति व्यक्त करेगा**;** और

viii. हवाईअड्डे पर किसी भी परीक्षण संचालन के दौरान उचित रूप से आवश्यक सहायता यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड और अन्य एजेंसियों को प्रदान करेगा।

4.3.2. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण**,** भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कमीशनिंग सेवाओं के निष्पादन के दौरान**,** यह सुनिश्चित करने के लिए ईपीसी संविदाकारों को ऐसी उचित सहायता प्रदान करेगा कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उपकरण**,** यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड उपकरण के साथ पर्याप्त रूप से एकीकृत हैं।

4.3.3. खंड **4.3.1** के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कमीशनिंग सेवाओं के निष्पादन के बाद और प्रारंभिक कमीशनिंग अवधि या भावी कमीशनिंग अवधि की समाप्ति से पहले**,** जैसा भी मामला हो**,** भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड को लिखित रूप में पुष्टि करेगा कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उपकरण पूरी तरह से कार्यशील हैं और यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड उपकरण के साथ एकीकृत हैं और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उपकरण ऐसे हैं कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन अनुबंधों और दस्तावेज़ों (समय-समय पर संशोधित) में निर्धारित प्रासंगिक मानकों के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण संचालन सेवाएं निष्पादित कर सकता है।

5. सेवाओं का दायरा – संचालन चरण

5.1. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण प्रचालन सेवाएँ

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण**,** संबंधित आईसीएओ अनुबंधों और दस्तावेजों (समय-समय पर संशोधित) में निर्धारित प्रासंगिक मानकों के अनुसार**,** हवाईअड्डे के उद्घाटन की तारीख से और उसमें एक शिफ्ट ऑपरेशन के साथ शुरू करेगा:

5.1.1. अनुसूची **3** में परिभाषित सीएनएस/एटीएम सेवाएं त्रैमासिक लागत वसूली के आधार पर प्रदान करेगा**;** और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड के बीच आपसी समझौते के आधार पर बहु-पाली संचालन को पूरा करने के लिए अपनी सीएनएस/एटीएम सेवाएं का विस्तार करेगा**;**

5.1.2. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उपकरणों की आवधिक उड़ान कैलिब्रेशन और अन्य परीक्षण करना सहित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उपकरणों का रखरखाव करेगा**;**

5.1.3. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उपकरणों को समय-समय पर (**i)** प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन अनुबंधों और दस्तावेजों (समय-समय पर संशोधित) में निहित प्रासंगिक प्रावधानों का पालन करने के लिए कम से कम उन्नत करेगा**;**

5.1.4. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को हवाईअड्डे पर प्रासंगिक सीएनएस/एटीएम सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए समय-समय पर आवश्यक ऐसे उपकरणों की अधिप्राप्ति करेगा**;**

5.1.5. हवाईअड्डे पर यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा आवश्यक संशोधन/विस्तार/उन्नयन के कारणों से अपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड संचालन सुविधा के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के उपकरणों को यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड के व्यय पर स्थानांतरित करेगा**,** बशर्ते कि ऐसा स्थानांतरण यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड के दायित्वों और/या हवाईअड्डे के सुचारू प्रचालन को प्रभावित न करे**;**

5.1.6. विमान यातायात के सुरक्षित**,** तीव्र और व्यवस्थित प्रवाह के लिए आवश्यक ऐसी प्रक्रियाओं की समय-समय पर समीक्षा करेगा**;**

5.1.7. समय-समय पर सहमति के अनुसार हवाईअड्डा सामुदायिक नेटवर्क के माध्यम से सहमत प्रारूप, आवृत्ति और वितरण के तरीके में दैनिक, साप्ताहिक और मासिक उड़ानों के लिए विमान यातायात गतिविधियों के सभी आंकड़े यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड को प्रदान करेगा; और

5.1.8. प्रचालन रिपोर्टिंग प्रक्रिया और घटना रिपोर्टिंग प्रक्रिया (सीएनएस/एटीएम सेवा की विफलता सहित) के तहत आवश्यक ऐसी जानकारी प्रदान करेगा और उसका रिकॉर्ड रखेगा तथा यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड और विमान चालकों को नोटिस जारी करेगा;

5.1.9. हवाईअड्डे की ओर आने वाले यातायात को सीएनएस/एटीएम सेवाएं प्रदान करने के लिए, यदि आवश्यक हो, यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड के खर्च पर ऐसे मार्ग-वर्ती उपकरण प्रदान करेगा।

5.2. हवाई यातायात प्रबंधन (एटीएम) - एन-रूट और अन्य सेवाएँ (यदि आवश्यक हो)

यदि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को आवश्यकता होती है, तो वह यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड की पूर्व सहमति प्राप्त करने के अध्यधीन, जिसे अनुचित रूप से नहीं रोका जाएगा, एन-रूट हवाई नेविगेशन सेवाएँ प्रदान करने के लिए आवश्यक कोई भी उपकरण या सुविधाएँ हवाईअड्डे पर या साइट पर स्थापित कर सकता है। हवाईअड्डे पर ऐसे उपकरणों या अन्य सुविधाओं को स्थापित करने में, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण हवाईअड्डे के सामान्य प्रचालन में किसी भी व्यवधान से बचने के लिए उचित उपाय करेगा। संदेह से बचने के लिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार कार्यों के कारण उत्पन्न हवाईअड्डे के सामान्य प्रचालन में किसी भी व्यवधान के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि उनके द्वारा निर्मित, प्रचालित या अनुरक्षित सभी इमारतें, कार्य या सुविधाएँ (यदि कोई हों) समय-समय पर डिजाइन और वास्तुकला दिशानिर्देशों तथा मुख्य योजना के अनुरूप हों।

5.3. यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड संचालन दायित्व

हवाईअड्डे के उद्घाटन की तिथि के बाद, यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड:

5.3.1. यह सुनिश्चित करेगा कि प्रारंभिक चरण के लिए रनवे, टैक्सीवे, एप्रन और एप्रोच का निर्माण किया गया है और प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन अनुबंधों और दस्तावेजों (समय-समय पर संशोधित) में निहित प्रावधानों के अनुसार हवाईअड्डे पर प्रस्तावित विमान संचालन के लिए उपयुक्त रूप से रखरखाव किया जाएगा और विमान परिचालन के लिए उपलब्ध होंगे;

5.3.2. यह सुनिश्चित करेगा कि प्रारंभिक चरण के लिए रनवे की पट्टियाँ, शोल्डर, स्टॉप वे और रनवे अंत सुरक्षा क्षेत्र तथा टैक्सीवे की पट्टियाँ और शोल्डर का निर्माण किया गया है और प्रासंगिक

अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन अनुबंधों और दस्तावेजों (समय-समय पर संशोधित) में निहित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तावित विमान परिचालन के लिए उपयुक्त रूप से रखरखाव किया जाएगा;

5.3.3. यह सुनिश्चित करेगा कि हवाईअड्डे की बाधा सीमा सतहों और एप्रोच तथा टेक-ऑफ क्षेत्र को बाधाओं से मुक्त रखा जाएगा या बाधाओं को प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन अनुबंधों और दस्तावेजों (समय-समय पर संशोधित) में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुमेय सीमाओं तक सीमित रखा जाएगा, जैसा कि भारत सरकार के राजपत्र जीएसआर **751(**ई) में निहित है जिसे नागर विमानन मंत्रालय की वेबसाइट पर जीएसआर **770(**ई) द्वारा संशोधित किया गया है जिसके लिए संरचनाओं के अनापत्ति प्रमाण पत्र की सहमति हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से संपर्क किया जाएगा;

5.3.4. यह सुनिश्चित करेगा कि विभिन्न सीएनएस/एटीएम उपकरणों/सुविधाओं के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा पहचानी गई संवेदनशील और महत्वपूर्ण क्षेत्रों को किसी भी बाधा से मुक्त रखा जाएगा और इन क्षेत्रों में किसी भी बाधा की अनुमति नहीं दी जाएगी जो इन उपकरणों/सुविधाओं के कामकाज में बाधा डाल सकती है और विमान संचालन की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है;

5.3.5. यह सुनिश्चित करेगा कि बचाव और अग्निशमन सेवाओं की उपयुक्त श्रेणी को प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन अनुबंधों और दस्तावेजों (समय-समय पर संशोधित) में निहित प्रावधानों के अनुसार उपलब्ध कराया जाएगा और उनका रखरखाव किया जाएगा;

5.3.6. यह सुनिश्चित करेगा कि परिचालन क्षेत्र के अंदर और आसपास पक्षी/पशु उपद्रव को रोकने के लिए हवाईअड्डे पर उचित व्यवस्था की गई है;

5.3.7. यह सुनिश्चित करेगा कि निम्नलिखित घटनाओं से निपटने के लिए हवाईअड्डे पर उपयुक्त आपातकालीन व्यवस्था की गई है:

- **i.** रनवे से अक्षम विमान को हटाना;
- **ii.** विमान या हवाईअड्डे को बम की धमकी;
- **iii.** हवाईअड्डे के आसपास और उसके निकट विमान दुर्घटनाएं;
- **iv.** गैर-अनुसूचित विमान को हवाईअड्डे पर उतरने के लिए मजबूर होना;
- **v.** हवाईअड्डे पर आग;
- **vi.** प्राकृतिक आपदाएं और विपत्तियां;
- **vii.** हवाईअड्डे और आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक अशांति;
- **viii.** हवाईअड्डे पर नागर विमानन के साथ गैरकानूनी हस्तक्षेप से निपटने के लिए विमान अपहरण-रोधी उपाय;
- **ix.** टर्मिनल भवन या हवाईअड्डे के किसी भी परिचालन क्षेत्र पर उग्रवादियों का हमला।

5.3.8. यह सुनिश्चित करेगा कि सुविधा को आपातकालीन सेवाओं (अग्निशमन, चिकित्सा और पुलिस) और हवाईअड्डा प्रबंधक से जोड़ने के लिए आपातकालीन अलार्म घंटी स्थापित की गई हैं;

5.3.9. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को उसके कर्मियों, वाहनों और एजेंटों के लिए हवाईअड्डे और सभी परिचालन क्षेत्रों तक ऐसी पहुँच प्रदान करेगा जैसी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के निष्पादन के लिए उचित रूप से अपेक्षा करता है.

5.3.10. यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड के व्यय पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को निम्नलिखित प्रदान करेगा:

- □) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण संचालन सेवाएं निष्पादित करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त विद्युत ऊर्जा और पानी की निरंतर आपूर्ति;
- □) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण संचालन सेवाएं निष्पादित करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त परिवहन सुविधा। प्रदान की जाने वाली परिवहन की संख्या का निर्णय यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा आपसी सहमति से किया जाएगा;
- □) विमान यातायात नियंत्रण में ईपीएबीएक्स एक्सटेंशन, एसटीडी सुविधा के साथ ऑटो टेलीफोन, फैक्स, हॉटलाइन, सेल फोन।

5.3.11. उस सीमा तक जब भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यह निर्धारित करता है कि, हवाईअड्डे के विस्तार के परिणामस्वरूप, हवाईअड्डे पर विद्युत ऊर्जा की अतिरिक्त रिजर्व आपूर्ति की आवश्यकता है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड को अपनी अतिरिक्त आवश्यकताओं के बारे में सूचित करेगा और पक्ष भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा आवश्यक अतिरिक्त रिजर्व आपूर्ति के संबंध में चर्चा करने और समझौते पर पहुँचने का प्रयास करने के लिए मिलेंगे;

5.3.12. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और/या उसके कर्मियों को ऐसी जानकारी प्रदान करेगा जिसकी वे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण संचालन सेवाओं के निष्पादन के लिए उचित रूप से अपेक्षा कर सकते हैं;

5.3.13. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सेवाएं प्रदान करने के लिए हवाईअड्डे पर तैनात भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मियों और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के एजेंटों को कार्यालय, रिहायशी आवास और नेविगेशन सहायता/राडार के लिए भवनों/सुविधा को हर समय उपलब्ध कराएगा;

5.3.14. प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन अनुबंधों और दस्तावेजों (समय-समय पर संशोधित) में निर्धारित प्रासंगिक मानकों के अनुसार विमानक्षेत्र प्रकाश व्यवस्था प्रणाली, मुख्य और रिजर्व बिजली आपूर्ति प्रणालियों का अपने व्यय पर रखरखाव करेगा;

5.3.15. यह सुनिश्चित करेगा कि उसके कर्मचारी और एजेंट, प्रचालन रिपोर्टिंग प्रक्रिया के अनुसार, विमानक्षेत्र प्रकाश व्यवस्था प्रणाली में किसी भी विफलता या दोष और किसी भी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड उपकरण की अनुपलब्धता की सूचना भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को तुरंत दें जैसे ही उन्हें ऐसी विफलता या दोष के बारे में पता चलता है;

5.3.16. आपात स्थिति को छोड़कर, समय-समय पर संशोधित रूप में पक्षों के बीच लिखित रूप में आपसी सहमति के अनुसार संचालन रिपोर्टिंग प्रक्रिया के अनुसार, यमुना इंटरनेशनल

एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई किसी भी अवसंरचना या सुविधाओं के किसी भी प्रस्तावित बंद होने या वापस लेने के बारे में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सूचित करेगा;

5.3.17. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के निर्देश पर, यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड के खर्च पर, रनवे या संचलन क्षेत्रों से किसी भी बाधा को हटाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उसके कर्मचारी और एजेंट किसी भी ऐसी बाधा के संबंध में सूचना मिलने पर, यथास्थिति, प्रचालन रिपोर्टिंग प्रक्रिया या घटना रिपोर्टिंग प्रक्रिया के अनुसार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सूचित करें;

5.3.18. हवाईअड्डे पर किसी भी परिवर्तन या संशोधन के कारणों से, यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड के व्यय पर, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उपकरणों को स्थानांतरित करेगा;

5.3.19. किसी उन्नयन या विस्तार के मामले में, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उपकरणों के लिए कुल लागत यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा उठाई जाती है जो अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की सिफारिशों से ऊपर और परे है और जिसका अनुरोध यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा किया जाता है;

5.3.20. विमान के आगमन का अनुमानित समय प्राप्त होने पर विमानों के लिए पार्किंग बे और एयरो ब्रिज आवंटित करेगा और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सूचित करेगा तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तदनुसार विमान का मार्गदर्शन करेगा।

6. सुविधा में परिवर्तन

6.1. परिवर्तन के लिए अनुरोध

यदि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को प्रभावी तिथि के बाद सुविधा और/या कार्यालय आवास में किसी भी परिवर्तन या बदलाव की आवश्यकता होती है, तो वह यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड को लिखित में ऐसी आवश्यकताओं की सूचना देगा, जिसमें अनुरोध किए जा रहे परिवर्तन या बदलाव का विवरण और ऐसे परिवर्तन या बदलाव के कारण बताए जाएंगे।

6.2. यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड की लागत को प्रभावित न करने वाले परिवर्तन यदि खंड **6.1** के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अनुरोधित परिवर्तन या बदलाव प्रारंभिक चरण को प्रभावित, विलंबित या बाधित नहीं करेंगे, तो यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड परिवर्तन को लागू करने के लिए आवश्यक ऐसे कदम उठाएगा।

7. राजस्व और प्रभार

7.1. मार्ग नेविगेशन सुविधाएं प्रभार (आरएनएफसी)

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, प्रासंगिक सेवाएं प्रदान करने के एवज में, विमानन कंपनियों से सीधे मार्ग नेविगेशन सुविधाएं प्रभार वसूल करने का हकदार होगा और यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड को ऐसे प्रभारों के संबंध में कोई देनदारी नहीं होगी।

7.2. टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग प्रभार (टीएनएलसी)

विमानन कंपनियों द्वारा देय टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग प्रभार का भुगतान विमानन कंपनियों द्वारा सीधे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को किया जाएगा और यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड को ऐसे प्रभारों के संबंध में कोई देनदारी नहीं होगी।

7.3. संग्रह

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा मार्ग नेविगेशन सुविधाएं प्रभार या टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग प्रभार एकत्र करने में विफलता और/या किसी विमानन कंपनी द्वारा भुगतान करने में विफलता किसी भी तरह से या किसी भी रूप में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सेवाओं के निष्पादन से या खंड **7.4** में निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के अपने दायित्व से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को माफ नहीं करेगी। बशर्ते कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को रूट नेविगेशन सुविधाएं प्रभार और/या टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग प्रभार का भुगतान करने में बार-बार चूक करने वाली किसी विशेष विमानन कंपनी (कंपनियों) की विफलता की स्थिति में**,** भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास ऐसी विमानन कंपनी (कंपनियों) को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सेवाएं प्रदान न करने के सभी अधिकार होंगे और इस समझौते में प्रदान किए गए अनुसार**,** यह भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सेवाओं के निष्पादन में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से चूक नहीं माना जाएगा।

7.4. सीएनएस/एटीएम सेवा प्रभार

पैरा **5.1** में उल्लिखित सीएनएस/एटीएम सेवाओं का प्रावधान लागत वसूली के आधार पर होगा। यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड प्रत्येक वर्ष के **15** जनवरी/अप्रैल/जुलाई/अक्टूबर तक सीएनएस/एटीएम सेवाओं की त्रैमासिक**,** अनुमानित लागत अग्रिम रूप से जमा करेगा। हालाँकि**,** पिछले वर्ष के दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा एकत्र किए गए टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग प्रभार को उस वर्ष के दौरान सीएनएस/एटीएम सेवाएं प्रदान करने की वास्तविक लागत से काट लिया जाएगा। किसी भी घाटे के मामले में इसे यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा उठाया जाएगा। इसके अलावा**,** यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड**,** भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सीएनएस/एटीएम सेवाओं की छह महीने की लागत के बराबर बैंक गारंटी देगा। यह बैंक गारंटी शुरू में **2** साल की अवधि के लिए होगी**,** जिसे अवधि की समाप्ति पर समय-समय पर नवीनीकृत किया जाना है।

7.5. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा देय किराया शुल्क

आवासीय आवास को छोड़कर अनुसूची **2** में निर्धारित सुविधा और कार्यालय आवास प्रदान करने के विचार में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड को कोई किराया शुल्क देय नहीं होगा।

8. सेवाओं के मानक और निष्पादन में विफलता

8.1. सेवाओं के मानक

8.1.1. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण हर समय प्रासंगिक आईसीएओ अनुबंधों और दस्तावेजों (समय-समय पर संशोधित) में निर्धारित प्रासंगिक मानकों के अनुसार एएआई सेवाएं प्रदान करेगा और यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड को कार्य जमाराशि के माध्यम से एएआई सेवाओं या एएआई उपकरणों के प्रावधान के संबंध में सभी खर्चों को वहन करेगा।

8.1.2. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि इसके कर्मी, यदि आवश्यक हो, किसी भी समय यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा शुरू किए गए किसी भी गुणवत्ता सुधार उपायों में, यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड के खर्च पर, भाग लें, और रियायत समझौते द्वारा आवश्यक सेवा स्तर के मानकों को प्राप्त करने और बनाए रखने में यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड की सहायता करें।

8.2. गैर-हस्तक्षेप भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण हस्तक्षेप नहीं करेगा, और यह सुनिश्चित करेगा कि इसके कर्मी और एजेंट हवाई अड्डे के डिजाइन, निर्माण, कमीशनिंग, पूर्णता, विकास, वित्तपोषण और/या रखरखाव में हस्तक्षेप न करें, बाधा न डालें या कोई व्यवधान उत्पन्न न करें और हवाई अड्डा खुलने की तिथि के बाद, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सेवाओं के प्रावधान के लिए आवश्यक होने के अलावा, हवाई अड्डे के संचालन में किसी भी तरह से हस्तक्षेप या बाधा न डालें.

8.3. क्षतिपूर्ति

8.3.1. प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष और उसके संविदाकारों, प्रिंसिपलों और एजेंटों को किसी भी और सभी भुगतानों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति करेगा, उनका बचाव करेगा और उन्हें सुरक्षित रखेगा, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, पूर्णतः या अंशतः किसी भी पक्ष के दायित्वों के निष्पादन (कार्य या चूक द्वारा) के कारण (बल विपत्ति की घटना को छोड़कर) उत्पन्न होने वाले तीसरे पक्ष के दावों के परिणामस्वरूप या पीड़ित पक्ष और उसके संविदाकारों, प्रिंसिपलों और एजेंटों के विरुद्ध लगाए गए, उन पर लादे गए या उनके द्वारा उठाए गए नुकसान, लागत, खर्च, देनदारी या क्षति के बराबर हैं, जिसमें व्यक्तियों की मृत्यु की चोट या संपत्ति को नुकसान या नुकसान के दावों के लिए दावे शामिल हैं।

8.3.2. देनदारी

पक्षों का इरादा है कि इस समझौते में निहित अधिकार, दायित्व और देनदारियां इस समझौते से उत्पन्न होने वाले या इसके संबंध में पक्षों के अधिकारों, दायित्वों और देनदारियों का एक विस्तृत विवरण होंगी। तदनुसार, इस समझौते में और इसके अनुसरण में दर्ज किसी भी दस्तावेज में स्पष्ट रूप से बताए गए उपाय इस समझौते से उत्पन्न होने वाली या इसके संबंध में एक-दूसरे के प्रति देनदारियों के लिए पक्षों के एकमात्र और अनन्य उपाय होंगे, जिसमें इसके संबंध में दी गई कोई भी प्रतिनिधित्व, वारंटी या वचनबद्धता शामिल है, कानून या इक्विटी में अन्यथा उपलब्ध किसी भी उपाय के बावजूद।

9. फोर्स मेज्यूर

9.1. फोर्स मेज्यूर

खंड **9** तब लागू होगा जब इस समझौते के तहत किसी भी पक्ष ("प्रभावित पक्ष") द्वारा अपने दायित्वों का निष्पादन अनुसूची **4** में परिभाषित फोर्स मेज्यूर के कारण पूर्णतः या अंशतः रोका जाता है**,** बाधित होता है या विलंबित होता है।

9.2. फोर्स मेज्यूर के परिणाम

9.2.1. निष्पादन दायित्व

प्रभावित पक्ष इस समझौते के तहत या इसके अनुसरण में किसी भी दायित्व का पालन करने में किसी भी विफलता**,** या पालन करने में देरी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और उसे अपने दायित्वों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं होगी**,** जिस सीमा तक ऐसी विफलता या देरी सीधे किसी बल विपत्ति की घटना के कारण हुई है और विशेष रूप से**,** बिना किसी सीमा के**,** ऐसे किसी भी दायित्व के प्रदर्शन के लिए अनुमति दिया गया समय तदनुसार बढ़ाया जाएगा।

9.2.2. सूचना

यदि प्रभावित पक्ष यह दावा करता है कि उसे किसी बल विपत्ति की घटना के कारण इस समझौते के तहत अपने किसी भी दायित्व को पूरा करने से रोक दिया गया है**,** तो वह उचित रूप से व्यावहारिक होते ही लिखित रूप में अन्य पक्षों को**,** दावे के आधार और परिणामों को बताते हुए**,** सूचित करेगा।

9.2.3. शमन

प्रभावित पक्ष फोर्स मेज्यूर की घटना के प्रभाव को कम करने के लिए सभी उचित कदम उठाएगा।

10. समाप्ति

10.1. यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड समाप्ति घटनाएँ

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण**,** यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड को समाप्ति का नोटिस जारी करने का हकदार होगा**,** यदि:

- **i.** यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड इस समझौते के तहत देय और भुगतान योग्य किसी भी राशि का भुगतान करने में विफल रहता है और डिफ़ॉल्ट को निर्दिष्ट करने और इसे सुधारने की आवश्यकता वाले भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नोटिस की प्राप्ति के बीस (**20)** दिनों के भीतर ऐसी विफलता को सुधारा नहीं जाता है**;**
- **ii.** यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड के परिसमापन**,** दिवालियापन या विघटन के लिए कोई आदेश दिया जाता है या कोई प्रस्ताव पारित किया जाता है**,** जिसे**,** यदि ऐसा करने में सक्षम है**,** तो उसके बाद नब्बे (**90)** दिनों के भीतर डिस्चार्ज या**,** जैसा भी मामला हो**,** निरस्त नहीं किया जाता है**;**
- **iii.** यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड इस समझौते में किसी भी दायित्व (धन का भुगतान करने के दायित्व के अलावा) का पालन करने या उसका अनुपालन करने

में विफल रहता है, इस हद तक कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारों और दायित्वों पर एक महत्वपूर्ण और प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और यदि सुधारने में सक्षम है, तो ऐसी विफलता डिफ़ॉल्ट को निर्दिष्ट करने और इसे सुधारने की आवश्यकता वाले भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नोटिस की प्राप्ति के बाद **7** दिनों की अवधि के लिए जारी रहती है। बशर्ते कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ऐसा समाप्ति नोटिस जारी करने का हकदार नहीं होगा यदि उपर्युक्त (**i), (ii)** और/या (**iii)** में निर्धारित घटनाएँ और/या परिस्थितियाँ फोर्स मेज्यूर का परिणाम और/या परिणाम हैं;

iv. रियायत समझौते के तहत इसे भारत सरकार द्वारा इस समझौते को समाप्त करने का निर्देश दिया गया है;

v. रियायत समझौता यदि समाप्त कर दिया जाता है।

और आगे बशर्ते कि प्रत्येक मामले में यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा समय पर सुधारात्मक कार्रवाई को भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा रोका नहीं गया है।

10.2. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण समाप्ति घटनाएँ

यदि लागू कानून रियायत समझौते में उपयुक्त संशोधनों के अधीन, सीएनएस/एटीएम सेवाएं संचालित करने के लिए यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड को अनुमति देता है, तो यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को समाप्ति का नोटिस जारी करने का हकदार होगा।

10.3. समाप्ति नोटिस का प्रभाव

यदि इस खंड **10** के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण या यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा समाप्ति का नोटिस दिया जाता है, तो समाप्ति के नोटिस की सेवा की तिथि के बाद नब्बे (**90)** दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद किसी भी समय, जब तक कि समाप्ति के नोटिस को जारी करने का कारण बनने वाली परिस्थितियों को पूरी तरह से सुधारा नहीं गया है या लागू होना बंद नहीं हो गया है, समाप्ति का नोटिस जारी करने वाला पक्ष इस समझौते को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर सकता है。

10.4. समाप्ति के परिणाम

यदि यह समझौता यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा इस खंड **10.2** के अनुसार समाप्त होता है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सेवाओं की अनुपलब्धता के कारण हवाई अड्डे का संचालन बंद न हो, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तुरंत भारत सरकार को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सेवाओं के निष्पादन में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए सभी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उपकरण, मैनुअल, चार्ट और अन्य ज्ञापनों को आपसी सहमति की शर्तों पर "जैसी है जहाँ है" स्थिति में सौंप देगा, ताकि भारत सरकार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, **1994** की धारा **38** के अनुसार तुरंत कार्रवाई करने में सक्षम हो सके। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उपर्युक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार को सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा।

उसके बाद हवाईअड्डे पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सेवाओं के समतुल्य सेवाएं किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से प्रदान किए जाने के लिए उचित समझे जाने वाले उपयुक्त कदम उठाने हेतु भारत सरकार से परामर्श करना यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड का एकमात्र विवेक होगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उपर्युक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड को सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा।

यह इस समझौते के तहत उपलब्ध किसी भी पक्ष के अधिकारों या उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

11. समनुदेशन

11.1. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा समनुदेशन

यहाँ इसके विपरीत किसी भी बात के होते हुए भी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड की पूर्व लिखित सहमति के बिना इस समझौते के तहत अपने सभी या किसी भी अधिकार या दायित्वों को समनुदेशित या अन्यथा अंतरित नहीं करेगा, बशर्ते कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारों या दायित्वों का ऐसा समनुदेशन या अंतरण किसी कानून के अधिनियमन के अनुसरण में हो। ऐसा समनुदेशिती या अंतरिती इस समझौते के नियमों और शर्तों से बंधे होंगे।

11.2. यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा समनुदेशन

यहाँ इसके विपरीत किसी भी बात के होते हुए भी, लेकिन खंड **16.5** के अधीन, यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की पूर्व लिखित सहमति के बिना इस समझौते के तहत अपने सभी या किसी भी अधिकार या दायित्वों को समनुदेशित या अन्यथा अंतरित नहीं करेगा; बशर्ते, तथापि, कि यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड, ऐसी पूर्व लिखित सहमति के बिना, लेकिन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को पूर्व लिखित सूचना देकर, यह कर सकता है:

- **i.** यहाँ अपने सभी या मूलतः सभी अधिकारों और दायित्वों को यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड के किसी सहयोगी को अंतरित करना;
- **ii.** यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड में स्वामित्व हितों के खरीदार को यहाँ अपने सभी या किसी भी हिस्से के अधिकारों और दायित्वों को अंतरित करना;
- **iii.** किसी वित्तपोषण समझौते के तहत देय राशियों के लिए संपार्श्विक सुरक्षा के रूप में इस समझौते के तहत यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड के अधिकारों को ऋणदाताओं को अंतरित करना, जिसके तहत यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड ने पैसा उधार लिया है; या
- **iv.** रियायत समझौते की शर्तों के अनुसार भारत सरकार/नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को यहाँ अपने सभी या मूलतः सभी अधिकारों और दायित्वों को अंतरित करना।

12. विवाद समाधान

12.1. बातचीत और सुलह

पक्ष इस समझौते से उत्पन्न होने वाले**,** उसके संबंध में या उसके संदर्भ में पक्षों के बीच किसी भी विवाद**,** अंतर दावे**,** प्रश्न या विवाद ("विवाद") को बातचीत के माध्यम से आपस में सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए अपने-अपने उचित प्रयासों का उपयोग करेंगे।

12.2. मध्यस्थ को संदर्भ

विवादों के निपटारे से संबंधित प्रासंगिक स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण के कानून में निहित किसी भी बात के अधीन**,** कोई भी विवाद जिसे पक्षकार अनुच्छेद **12.1** के अनुसार एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को विवाद के अस्तित्व की लिखित सूचना दिए जाने के साठ (**60)** दिनों (या ऐसी लंबी अवधि जो पक्षकार सहमत हो सकते हैं) के भीतर हल करने में असमर्थ हैं**,** उसे भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम **1996 ("**अधिनियम") और/या उसके किसी भी विधायी संशोधन के अनुसार और अधिनियम के अनुसार नियुक्त तीन मध्यस्थों द्वारा यूएनसीआईटीआरएएल (**UNCITRAL**) नियमों ("नियम") के अनुसार मध्यस्थता द्वारा अंतिम रूप से निर्धारित किया जाएगा।

12.3. विविध

मध्यस्थता का स्थल नई दिल्ली होगा। प्रत्येक पक्ष नियमों के अनुसार मध्यस्थता के व्यय का भुगतान करेगा और लागतों के लिए अंतिम दायित्व मध्यस्थता पंचाट के नियमों के अनुसार होगा। कोई भी मध्यस्थ किसी भी पक्ष का वर्तमान या पूर्व कर्मचारी या एजेंट**,** या सलाहकार या वकील नहीं होगा या किसी भी तरह से पक्षों से संबंधित या निकट से जुड़ा नहीं होगा। मध्यस्थता की भाषा अंग्रेजी होगी।

12.4. निर्णय/अवार्ड

इस खंड **12** के अनुसार नियुक्त मध्यस्थ न्यायाधिकरण का कोई भी निर्णय या अवॉर्ड पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। पक्षकार सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा ऐसे अवॉर्ड की अपील या किसी भी समीक्षा के किसी भी अधिकार को माफ करते हैं**,** जहाँ तक ऐसा त्याग वैध रूप से किया जा सकता है। पक्षकार सहमत हैं कि किया गया कोई भी मध्यस्थता अवॉर्ड प्रासंगिक पक्ष की संपत्तियों के **विरुद्ध पक्षकारों** द्वारा लागू किया जा सकता है**,** चाहे वे संपत्तियां कहीं भी स्थित हों या पाई जा सकती हों**,** और किसी भी मध्यस्थता अवार्ड पर निर्णय (जहां आवश्यक हो) उसके सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय द्वारा दर्ज किया जा सकता है। पक्षकार किसी भी मध्यस्थता अवार्ड को लागू करने के उद्देश्यों के लिए ऐसे किसी भी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रति स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करते हैं।

13. बीमा का रखरखाव

13.1. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण**,** यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड से लागत वसूली के आधार पर काम जमा के आधार पर हर समय अपनी संपत्ति को नुकसान या क्षति**,** तीसरे पक्ष की देनदारी**,** कामगार मुआवजा नीति और अच्छे उद्योग अभ्यास के अनुसार आवश्यक

या विवेकपूर्ण समझे जाने वाले किसी अन्य बीमा को कवर करने के लिए आवश्यक बीमा प्रभावी करेगा और बनाए रखेगा, यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड और ऋणदाता इस समझौते के तहत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की बीमा पॉलिसियों के तहत सह-बीमित नाम होंगे।

13.2. पॉलिसियाँ

खंड **13.1** के तहत प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए आवश्यक बीमा के संबंध में किसी भी बीमा पॉलिसी प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के तीस (**30)** दिनों के भीतर, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड को सूचित करेगा कि ऐसे बीमा प्राप्त कर लिए गए हैं और यदि ऋणदाताओं द्वारा अनुरोध किया जाता है, तो ऐसे पॉलिसी प्रमाण पत्र की प्रतियां, बीमा पॉलिसियों की प्रतियां और इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करेगा कि ऐसे बीमा के संबंध में बीमा प्रीमियम का भुगतान कर दिया गया है। जब तक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड को कम से कम पैंतालीस (**45)** दिनों के नोटिस की समाप्ति नहीं दी जाती है, तब तक कोई भी बीमा रद्द, संशोधित या समाप्त होने/व्यपगत होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

13.3. बीमा कराने में विफलता के लिए उपाय

यदि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उन सभी बीमाओं को प्रभावी करने और उन्हें बल में रखने में विफल रहता है जिसके लिए वह इसके तहत जिम्मेदार है, तो यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड के पास ऐसे किसी भी बीमा को बल में रखने, और ऐसे प्रीमियम का भुगतान करने तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से उसकी लागत वसूल करने का विकल्प होगा।

13.4. बीमा आय का एप्लिकेशन

इस समझौते के तहत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को भुगतान किए जाने वाले सभी बीमा दावे, भौतिक क्षति से संबंधित नहीं होने वाली बीमा आय को छोड़कर, क्षतिग्रस्त संपत्ति के पुनर्निर्माण के लिए उपयोग किए जाएंगे।

14. सूचनाएँ

14.1. लिखित रूप में संचार

प्रचालन रिपोर्टिंग प्रक्रिया और घटना रिपोर्टिंग प्रक्रिया को छोड़कर, इस समझौते के तहत या इसके संबंध में किया जाने वाला कोई भी संचार लिखित रूप में किया जाएगा और, जब तक अन्यथा न कहा जाए, फैक्स या पत्र द्वारा किया जा सकता है।

14.2. पते

इस समझौते के तहत या इसके संबंध में किए जाने या वितरित किए जाने वाले किसी भी संचार या दस्तावेज के लिए प्रत्येक पक्ष का पता और फैक्स नंबर (और विभाग या अधिकारी, यदि कोई हो, जिसके ध्यान में संचार किया जाना है) इस प्रकार है:

- **वायआईएपीएल:**
  - फैक्स नं.:
  - ध्यानार्थ:
- **एएआई:**
  - राजीव गांधी भवन
  - सफदरजंग हवाईअड्डा
  - नई दिल्ली – **110 003** भारत
  - फैक्स: [**011 24641088]**
  - ध्यानार्थ: अध्यक्ष

या कोई भी प्रतिस्थापन पता, फैक्स नंबर या विभाग या अधिकारी जैसा कि पक्ष पाँच कार्य दिवसों से कम के नोटिस द्वारा दूसरे पक्ष को सूचित कर सकता है।

15. मानी गई डिलीवरी

इस समझौते में अन्यथा उपबंधित के अधीन, इस समझौते के अध्यधीन या उसके अनुसरण में किसी भी संचार को प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त किया गया माना जाएगा (यदि फैक्स द्वारा भेजा गया है) उस स्थान पर अगले कार्य दिवस पर जहां इसे भेजा गया है या (किसी अन्य मामले में) जब इसे उस पते पर छोड़ दिया गया है जो खंड 13.2 द्वारा अपेक्षित है या पंजीकृत डाक द्वारा प्रिपैड द्वारा भेजे जाने के बाद ऐसे 10 कार्य दिवसों के भीतर और उस पते पर संबोधित किया गया है।

16. विविध

16.1. पृथक्करणीयता

इस समझौते के पूर्ववर्ती खंडों या प्रावधानों में से किसी का भी पूर्णतः या आंशिक रूप से अमान्य या अपरिवर्तनीय होना, ऐसे खंडों या प्रावधानों के शेष भाग की वैधता या प्रवर्तनीयता को प्रभावित नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में जब इस समझौते के किसी भी महत्वपूर्ण प्रावधान को अमान्य या अपरिवर्तनीय माना जाता है, पक्षकार इस समझौते को यथासंभव इसके मूल इरादे और प्रभाव के करीब बहाल करने के लिए ऐसे अमान्य या अपरिवर्तनीय प्रावधान को बदलने के लिए सद्भावना से तुरंत नए प्रावधानों पर पुनर्विचार करेंगे।

16.2. संपूर्ण समझौता

इस समझौते में, इसकी कोई भी अनुसूची या प्रदर्श शामिल है, इस समझौते के विषय वस्तु के संबंध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड के

बीच संपूर्ण समझौता शामिल है और यह ऐसी विषय वस्तु के संबंध में लिखित या मौखिक रूप से अन्य सभी समझौतों का स्थान लेता है।

16.3. संशोधन

कोई भी संशोधन, परिवर्तन या अन्य बदलाव किसी भी पक्ष पर तब तक बाध्यकारी नहीं होगा जब तक कि दोनों पक्ष लिखित रूप में इसके लिए सहमति न दें।

16.4. अतिरिक्त दस्तावेज और कार्रवाई

16.4.1. यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड, वाणिज्यिक प्रचालन शुरू करने में सक्षम होने के लिए शुरुआती दो साल की अवधि के लिए नागर विमानन महानिदेशक से हवाई अड्डा लाइसेंस प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा, और उसके बाद तुरंत पूर्ववर्ती दो साल की अवधि के लिए जारी किए गए हवाई अड्डा लाइसेंस की समाप्ति से पहले दो साल की और अवधि के लिए इसके नवीनीकरण के लिए कदम उठाएगा। समय-समय पर ऐसे लाइसेंस को प्राप्त करने, नवीनीकृत करने और बनाए रखने के लिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उन सभी जिम्मेदारियों को पूरा करेगा जो कोई लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो सकती हैं और किसी भी जाँच और प्रक्रियाओं के निष्पादन में यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड और नागर विमानन महानिदेशक की सहायता करेगा तथा संचार, नौवहन और निगरानी - विमान यातायात प्रबंधन सेवाओं के संबंध में नागर विमानन महानिदेशक के सभी नुस्खों के अनुरूप होगा।

16.4.2. प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष को ऐसे अतिरिक्त दस्तावेज निष्पादित करने और वितरित करने तथा ऐसी अतिरिक्त कार्रवाई करने और ऐसा सहयोग प्रदान करने के लिए सहमत है, जैसा कि इस समझौते द्वारा परिकल्पित लेनदेन को पूरा करने और इसके इरादे को प्रभावी बनाने के लिए उचित रूप से आवश्यक हो सकता है।

16.5. प्रत्यक्ष समझौता

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ऋणदाताओं के अनुरोध पर, ऋणदाताओं के साथ इस समझौते की अनुसूची **5** के रूप में संलग्न प्रपत्र में काफी हद तक एक प्रत्यक्ष समझौता करेगा जिसके द्वारा, अन्य बातों के अलावा, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण समझौते के तहत अपने समाप्ति के अधिकारों का प्रयोग करने के किसी भी इरादे की पूर्व सूचना देने के लिए सहमत होता है, ताकि ऐसे ऋणदाताओं को यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड की ओर से किसी चूक को सुधारने का अधिकार मिल सके और/या कुछ निश्चित परिस्थितियों में ऐसे ऋणदाताओं को समझौते के तहत यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड के दायित्वों को पूरा करने और लाभों का आनंद लेने के लिए स्वयं को प्रतिस्थापित करने या तीसरे पक्ष के प्रतिस्थापन को नियुक्त करने की अनुमति मिल सके।

16.6. देर से भुगतान के लिए ब्याज

इस समझौते के अनुसार किसी पक्ष को देय और भुगतान योग्य कोई भी राशि और भुगतान देय होने की तिथि के बाद अवैतनिक रहने पर उस पर ब्याज लगेगा (निर्णय से पहले और बाद

दोनों), ऐसा ब्याज उस तिथि से दिन-प्रतिदिन के आधार पर तब तक उपचित होगा जब तक कि ऐसी राशि का पूरा भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक की समय-समय पर प्रभावी प्रमुख ऋण दर से दो (**2)** प्रतिशत अंक अधिक की दर से न कर दिया जाए।

16.7. कोई साझेदारी नहीं

न तो यह समझौता और न ही कोई अन्य समझौता या व्यवस्था जिसका यह एक हिस्सा है, और न ही पक्षों द्वारा ऐसे किसी समझौते या व्यवस्था के तहत अपने-अपने दायित्वों का निष्पादन, पक्षों के बीच साझेदारी का गठन करेगा। किसी भी पक्ष के पास किसी अन्य पक्ष को अपने एजेंट के रूप में या अन्यथा बाध्य करने का कोई अधिकार (जब तक कि इस समझौते के आधार पर या अन्यथा लिखित रूप में स्पष्ट रूप से प्रदान न किया गया हो और निरस्त न किया गया हो) नहीं होगा।

16.8. कोई तीसरा पक्ष लाभार्थी नहीं

यह समझौता यहाँ के पक्षों के एकमात्र और अनन्य लाभ के लिए है और, इसके तहत ऋणदाताओं को स्पष्ट रूप से दिए गए अधिकारों को छोड़कर, किसी भी तीसरे पक्ष के साथ कोई संविदात्मक संबंध नहीं बनाएगा, या किसी तीसरे पक्ष के पक्ष में कार्रवाई का कारण नहीं बनेगा।

16.9. प्रतिरूप

यह समझौता एक या अधिक प्रतिरूपों में निष्पादित किया जा सकता है जिनमें से प्रत्येक को मूल माना जाएगा और उन सभी को एक ही समझौता माना जाएगा।

16.10. समय का सार होना

इस समझौते में समय का सार होना आवश्यक है, उल्लिखित तिथियों, अवधियों या दिन के समय के संबंध में और किसी भी तिथि, अवधि या दिन के समय के संबंध में भी जिन्हें इस समझौते के अनुसार उनके लिए प्रतिस्थापित किया जा सकता है।

16.11. समय की गणना

इस समझौते में संदर्भित समय भारतीय मानक समय में है। इस समझौते के तहत निर्धारित या अनुमत किसी भी समय की अवधि की गणना करने में, उस कार्य, घटना या चूक के दिन को शामिल किया जाएगा जिससे निर्धारित समय अवधि शुरू होती है। यदि इस प्रकार गणना की गई अवधि का अंतिम दिन व्यावसायिक दिन नहीं है, तो अवधि अगले व्यावसायिक दिन के अंत तक चलेगी।

17. शासी भाषा

इस समझौते की व्याख्या को नियंत्रित करने वाली भाषा अंग्रेजी भाषा है। किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दिए जाने वाले सभी आवश्यक नोटिस और अन्य सभी संचार और दस्तावेज जो किसी भी तरह से इस समझौते से प्रासंगिक हैं और इस समझौते के निष्पादन, कार्यान्वयन और

समाप्ति से प्रासंगिक हैं, जिसमें किसी भी विवाद समाधान कार्यवाही तक सीमित नहीं है, अंग्रेजी भाषा में होंगे।

18. शासी कानून

यह समझौता भारत के कानूनों के अनुसार शासित और उसके अनुसार निर्मित होगा।

19. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रसंविदाएँ

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से:

i. सहमत है कि, इस समझौते या इस समझौते द्वारा परिकल्पित किसी भी लेनदेन के संबंध में किसी भी अधिकार क्षेत्र में इसके या इसकी संपत्तियों के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही लाई जानी चाहिए, तो ऐसी कार्यवाही से कोई भी छूट इसके द्वारा या इसकी ओर से या इसकी संपत्तियों के संबंध में दावा नहीं की जाएगी;

ii. किसी भी अधिकार क्षेत्र में ऐसी किसी भी कार्यवाही में इसके विरुद्ध किसी भी निर्णय या पंचाट के प्रवर्तन के संबंध में सामान्य रूप से ऐसी कार्यवाही के संबंध में किसी भी राहत देने या किसी भी प्रक्रिया को जारी करने की सहमति देता है (इसके उपयोग या इच्छित उपयोग की परवाह किए बिना किसी भी संपत्ति के विरुद्ध या उसके संबंध में ऐसे किसी भी निर्णय या पंचाट या ऐसे किसी भी निर्णय या पंचाट से उत्पन्न होने वाले किसी भी आदेश को बनाने, प्रवर्तन करने या निष्पादन करने सहित)।

इसके साक्ष्य में इस समझौते को शुरुआत में बताई गई तिथि पर दर्ज किया गया है।

अनुसूची 1

भाग 1: यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड उपकरण

1. रनवे
2. रनवे प्रकाश व्यवस्था और मार्किंग
3. टैक्सीवे
4. टैक्सीवे प्रकाश व्यवस्था और मार्किंग
5. संकेतन
6. एप्रन
7. एप्रन प्रकाश व्यवस्था और मार्किंग
8. सुविधा
9. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उपकरणों से संबंधित सिविल कार्य (केवल नींव)
10. पैपी और एप्रोच प्रकाश व्यवस्था
11. एयरोड्रोम बीकन (टावर पर)
12. लैंडिंग दिन और रात का मार्किंग
13. हवा की दिशा संकेतक (प्रकाशित)
14. आइसोलेशन बे
15. माध्यमिक बिजली आपूर्ति
16. विमान यातायात नियंत्रण और हवाई अड्डा अग्निशमन दल के बीच हॉटलाइन
17. क्रैश बेल, केबलिंग और सायरन
18. एयरफील्ड प्रकाश व्यवस्था के लिए नियंत्रण पैनल और निगरानी प्रणाली
19. दृश्य सहायता का उन्नयन (भविष्य)
20. साइट हवाई अड्डा नौवहन सहायता/राडार के लिए एप्रोच सड़कों के अलावा परिचालन क्षेत्र के लिए एप्रोच सड़कें
21. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कर्मियों और इसके एजेंटों के लिए कार्यालय और आवासीय आवास
22. नौवहन सहायता/राडार प्रतिष्ठानों के लिए भवन
23. विमान यातायात नियंत्रण में ईपीएबीएक्स एक्सटेंशन, एसटीडी सुविधा के साथ ऑटो टेलीफोन, फैक्स, हॉटलाइन और सेल फोन
24. अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन विनिर्देश के अनुसार सिग्नल क्षेत्र
25. विमान यातायात नियंत्रण टॉवर में प्रिंटर और इंटरनेट कनेक्शन के साथ कंप्यूटर

भाग 2: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उपकरण

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, प्रस्तावित विमान संचालन के लिए आवश्यक प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन अनुबंधों और दस्तावेजों (समय-समय पर संशोधित) में निहित प्रावधानों के अनुसार संचार, नौवहन और निगरानी उपकरण प्रदान करेगा, न्यूनतम निम्नलिखित उपकरण प्रदान किए जाते हैं:

क्र.सं.	विवरण	मात्रा
1.	जेवर पर वीएचएफ (टॉवर/टॉवर वैकल्पिक/एसएमसी/डैटिस)	**04** आवृत्तियों के लिए **10**
2.	आईजीआई पर वीएचएफ (एप्प **01**/एप्प **02**/एप्प वैकल्पिक)	**03** आवृत्तियों के लिए **06**
3.	मैनपैक्स	**03**
4.	डैटिस	**01**
5.	डीवीआर **128** चैनल	**01**
6.	वीसीएस (सीडब्ल्यूपी 10) [06 जेवर पर और 04 आईजीआई पर]	**01**
7.	डीवीओआर/एचपी-डीएमई	**01**
8.	आईएसएल/एलपी-डीएमई (पारस्परिक)	**02**

क्र.सं.	विवरण	मात्रा
9.	एडीएस बी	**01**
10.	एएसआर/एमएसएसआर	**01**
11.	ए-एसएमजीसीएस	**01**
12.	एएमएसएस	**01**
13.	स्वचालन प्रणाली (सीडब्ल्यूपी **10) [06** जेवर पर और **04** आईजीआई पर]	**01**
14.	नेविगेशन-सहायता के लिए यूपीएस	**03**
15.	टॉवर के लिए यूपीएस **50** केवीए **3** फेज एन+**1**	**01**
16.	टीबी के लिए यूपीएस **200** केवीए **3** फेज एन+**1**	**01**
17.	जीपीएस क्लॉक/सीसीटीवी/आरएफ लिंक	**01**
18.	इंस्ट्रूमेंट एप्रोच प्रक्रियाएं	**06**

सीएनएस अवसंरचना स्थापना के संबंध में हवाईअड्डा प्रचालक के दायित्व

क्र.सं.	दायित्व विवरण
1.	अग्नि पहचान और दमन प्रणालियों की स्थापना और रखरखाव।
2.	सभी संचार, नौवहन और निगरानी प्रतिष्ठानों पर गैस दमन प्रणाली की स्थापना और रखरखाव।
3.	विद्युत सर्ज संरक्षण प्रणाली की स्थापना और रखरखाव।
4.	सभी सीएनएस दूरस्थ स्थलों और अग्नि से ओएफसी/आरसी केबलों की आपूर्ति और बिछाना/समाप्ति।
5.	आईटी अवसंरचना की स्थापना यानी संचार, नौवहन और निगरानी स्थलों पर इंट्रानेट/इंटरनेट।
6.	संचार, नौवहन और निगरानी फर्नीचर फिक्सर और सभी बुनियादी सुविधाएं।
7.	100 लाइनों के साथ डिजिटल हाइब्रिड ईपीएबीएक्स सिस्टम की स्थापना और रखरखाव।
8.	वॉकी-टॉकी बेस स्टेशनों और हैंडसेट की स्थापना और रखरखाव।
9.	सभी संचार, नौवहन और निगरानी पर उपकरण अर्थिंग सिस्टम की खरीद/बिछाना/समाप्ति।

अनुसूची 2

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कर्मियों और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उपकरणों के लिए कार्यालय और आवासीय आवास, कार पार्किंग और रिजर्व बिजली आपूर्ति:

1. **नियंत्रण टॉवर:** यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड आवश्यकता के अनुसार विभिन्न विमान यातायात सेवा इकाइयों, नेविगेशन-सहायता और रडार भवन को रखने के लिए तकनीकी ब्लॉक हेतु **4469** वर्ग मीटर (कुल क्षेत्रफल) का क्षेत्रफल उपलब्ध कराएगा।
2. **कार्यालय:** यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड निर्दिष्ट वर्ग मीटर का क्षेत्रफल उपलब्ध कराएगा।
3. **कार पार्किंग:** यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड हवाईअड्डे पर **75** (पचहत्तर) कार पार्किंग स्थान उपलब्ध कराएगा।
4. **रिजर्व आपूर्ति:** यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सेवाओं के प्रावधान के लिए हवाईअड्डे पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को पर्याप्त रिजर्व विद्युत क्षमता उपलब्ध कराएगा।
5. **रिहायशी आवास:** भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कर्मियों और इसके एजेंट को रिहायशी आवास।

* भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कर्मचारियों की ओर से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा भुगतान किए जाने वाले आवासीय आवास के लिए लाइसेंस शुल्क, लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।

** विमानन मौसम संबंधी सेवाओं के प्रावधान के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग को आवंटित किए जाने वाले क्षेत्रफल/स्थान को अंतिम रूप देने के लिए हवाईअड्डा प्रचालक भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के साथ समन्वय करेगा।

अनुसूची 3

सीएनएस/एटीएम सेवाएँ

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण**,** ऐसे हवाई क्षेत्र की पार्श्व और ऊर्ध्वाधर सीमा के भीतर हवाई क्षेत्र विन्यास के अनुसार उपयुक्त रूप से हवाईअड्डे पर निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान और समन्वित करेगा:

- **i.** भू-तल संचलन नियंत्रण / एप्रन नियंत्रण सेवा सहित एयरोड्रोम नियंत्रण सेवा**;**
- **ii.** एप्रोच नियंत्रण / एप्रोच रडार नियंत्रण सेवा***;**
- **iii.** संबद्ध सेवाएँ जैसे एयरोनॉटिकल मोबाइल सर्विस (एएमएस)**,** एयरोनॉटिकल फिक्स्ड सर्विसेज (एएफएस)**,** एयरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन सर्विस (एआईएस)**,** फ्लाइट इंफॉर्मेशन सर्विस**,** एडवाइजरी सर्विस**,** अलर्टिंग सर्विस और सर्च एंड रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सर्विसेज जैसा उचित हो**,**

यह सब प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन अनुबंधों और दस्तावेजों (समय-समय पर संशोधित) में निहित प्रावधानों के अनुसार और प्रस्तावित विमान संचालन के लिए आवश्यक है।

** नोट: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए एप्रोच कंट्रोल / एप्रोच रडार कंट्रोल सर्विस, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए विशेष रूप से आईजीआई एटीसीसी (**IGI ATCC**) में बनाई गई एप्रोच कंट्रोल यूनिट से प्रदान की जाएगी।*

अनुसूची 4

फोर्स मेज्यूर की परिभाषा

इस समझौते में, "फोर्स मेज्यूर" (**Force Majeure)** का अर्थ पैराग्राफ (क**)** में संदर्भित किसी भी कार्य, घटना या परिस्थिति या कृत्यों, घटनाओं और परिस्थितियों के संयोजन से है, जो प्रभावित पक्ष के उचित नियंत्रण से परे हैं और जिन्हें प्रभावित पक्ष किसी भी सुविधा के निर्माण के संबंध में अच्छे उद्योग अभ्यास द्वारा या उचित कौशल और देखभाल के प्रयोग द्वारा रोक नहीं सका था, और जो, या जिसके परिणामस्वरूप किसी भी पक्ष द्वारा इस समझौते के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन को पूर्णतः या अंशतः रोका, बाधित या विलंबित किया जाता है।

"फोर्स मेज्यूर" में निम्नलिखित घटनाएँ और परिस्थितियाँ शामिल हैं, जिस सीमा तक वे या उनके परिणाम उपर्युक्त आवश्यकताओं को पूरा करते हैं:

A. निम्नलिखित प्रकार के कार्य, घटनाएँ या परिस्थितियाँ:

- **i.** भारत के भीतर काम के निष्पादन में या भारत के भीतर वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति में नियोजित किसी भी ऐसे मामले में, किसी भी पक्ष या उसके ठेकेदारों, या उनके संबंधित उप-ठेकेदारों, सेवकों या एजेंटों से जुड़े हड़ताल, लोकआउट या अन्य औद्योगिक कार्रवाई या श्रम विवाद।
- **ii.** बिजली चमकना, भूकंप, आंधी, चक्रवात, तूफान, बवंडर, बाढ़, बहाव, भूस्खलन, मृदा अपरदन, धंसान, सूखा या पानी की कमी, और अन्य असामान्य या अत्यधिक प्रतिकूल मौसम या पर्यावरणीय परिस्थितियाँ या तत्वों के कार्य, उल्कापिंड या विमान या अन्य हवाई उपकरणों से गिरने वाली वस्तुएं, सुपरसोनिक गति से यात्रा करने वाले विमान या अन्य हवाई उपकरणों के कारण होने वाली दबाव तरंगों की घटना, आग या विस्फोट, रासायनिक या रेडियोधर्मी संदूषण या आयनीकरण विकिरण (उन परिस्थितियों को छोड़कर जहाँ विस्फोट या संदूषण या विकिरण का स्रोत या कारण प्रभावित पक्ष द्वारा या प्रभावित पक्ष द्वारा नियोजित या लगे हुए लोगों द्वारा साइट पर या उसके पास लाया गया है या लाया गया है जब तक कि यह हवाईअड्डे के किसी भी हिस्से के निर्माण या संचालन के लिए आवश्यक नहीं था या नहीं था)।
- **iii.** हवाईअड्डे पर कोई भी दुर्घटना।
- **iv.** हवाईअड्डे के उद्घाटन की तारीख से पहले होने वाले किसी भी साधन से पारगमन के दौरान कार्गो की कोई भी आकस्मिक हानि या क्षति जो हवाईअड्डे में शामिल किए जाने के लिए अभिप्रेत है।

- **v.** हवाईअड्डे की हानि या गंभीर आकस्मिक क्षति।
- **vi.** महामारी।
- **vii.** युद्ध (चाहे घोषित हो या अघोषित)**,** आक्रमण**,** सशस्त्र संघर्ष या विदेशी शत्रु का कार्य**,** नाकाबंदी**,** प्रतिबंध**,** क्रांति**,** दंगा**,** बम या नागरिक उपद्रव।
- **viii.** तोड़फोड़**,** आतंकवाद या ऐसे कृत्यों की धमकी।
- **ix.** दैवयोग (**Act of God);** या
- **x.** पूर्ववर्ती के समरूप प्रकृति का कोई भी कार्य**,** घटना या परिस्थिति।

ख. बशर्ते कि निम्नलिखित में से कोई भी मामला या उनके परिणाम फोर्स मेज्यूर का गठन करने या उसका कारण बनने में सक्षम नहीं होंगे:

i. किसी भी भुगतान को करने में विफलता या असमर्थता**;** या

ii. बाजार की स्थिति के प्रभाव**,** जब तक कि ऐसी बाजार की स्थिति स्वयं किसी बल विपत्ति की घटना के कारण या उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न न हुई हों।

ग. और इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि उपरोक्त पैराग्राफ (क**)** में उल्लिखित कोई कार्य**,** घटना या परिस्थिति जो मुख्य रूप से किसी तीसरे पक्ष या पक्षों को प्रभावित करती है (जिसमें बिना किसी सीमा के हवाईअड्डे का निर्माण**,** संविदाकार या प्रचालक**,** किसी पक्ष का सहयोगी**,** या किसी पक्ष या उसके सहयोगी के उप-संविदाकार शामिल हैं) और जो किसी पक्ष को अपने दायित्वों के अनुपालन से रोकती है**,** बाधित करती है या उसमें देरी करती है**,** वह इस समझौते के तहत उस पक्ष के लिए फोर्स मेज्यूर मानी जाएगी**,** बशर्ते और इस सीमा तक कि वह ऐसे प्रकार या प्रकृति की हो कि यदि वह इस खंड का लाभ उठाने के इच्छुक पक्ष के साथ घटी होती**,** तो वह इस अनुसूची **4** के अंतर्गत फोर्स मेज्यूर की परिभाषा के दायरे में आती।

अनुसूची 5 (सीए में सहमत प्रारूप के अनुसार)

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण प्रत्यक्ष समझौते का प्रपत्र

YIAPL

पता

[दिनांक]

[द चेयरमैन]

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

राजीव गांधी भवन

सफदरजंग एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स

नई दिल्ली **110 003**

प्रिय [अध्यक्ष]**,**

हम भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ("एएआई**")** और वायआईएपीएल के बीच दिनांक [–] को हुए सीएनएस/एटीएम सुविधाओं और सेवाओं के प्रावधान के समझौते (सीएनएस/एटीएम समझौता") का संदर्भ लेते हैं।

सीएनएस/एटीएम समझौते में परिकल्पित रूप से**,** कंपनी वित्तपोषण समझौतों (सीएनएस/एटीएम समझौते में परिभाषित और जिसकी प्रतियां आपको वितरित की गई हैं) में प्रवेश करने का प्रस्ताव करती है**,** जिसके अनुसार सुरक्षित पक्ष (जैसा कि नीचे परिभाषित है) उत्तर प्रदेश राज्य के जेवर में एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के विकास के लिए कंपनी को वित्तपोषण प्रदान करने के लिए सहमत हुए हैं।

ऐसे वित्तपोषण के लिए सुरक्षा के रूप में**,** हम इसके द्वारा आपको सूचित करते हैं कि [ ] के पक्ष में दर्ज किए जाने वाले बंधक ("बंधक") के अनुसरण में**,** ट्रस्टी के रूप में (बंधक ट्रस्टी)**,** कुछ बैंकों और वित्तीय संस्थानों (ऋणदाताओं) के लाभ के लिए**,** कंपनी ने ऋणदाताओं के लाभ के लिए बंधक ट्रस्टी को सीएनएस/एटीएम समझौते सहित कंपनी की सभी संपत्तियों ("संपार्श्विक") में प्रथम प्राथमिकता वाला सुरक्षा हित प्रदान किया है।

ऋणदाताओं को बंधक ट्रस्टी के साथ यहाँ "सुरक्षित पक्ष" कहा गया है।

कंपनी अनुरोध करती है कि इस पावती और सहमति ("समझौता") की संलग्न प्रति पर हस्ताक्षर करके और उसे वापस करके**,** एएआई सुरक्षित पक्षों के लाभ के लिए निम्नलिखित की पुष्टि करता है और सहमत होता है:

क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई)

i. बंधक की एक प्रति प्राप्त होने की पुष्टि करता है।

ii. सुरक्षित पक्षों के देय दायित्वों के लिए सुरक्षा के रूप में सीएनएस/एटीएम समझौते में कंपनी के सभी अधिकार**,** हक और हित के सुरक्षित पक्षों के लाभ के लिए बंधक के तहत समनुदेशन (और उस सीमा तक जो बंधक के तहत समनुदेशन करने में सक्षम नहीं है**,** प्रभार) के लिए सहमति देता है।

iii. सहमत है कि ऐसे समनुदेशन (या जैसा भी मामला हो**,** प्रभार) सीएनएस/एटीएम समझौते का उल्लंघन नहीं करते हैं या नहीं करेंगे और

iv. सहमत है कि इस समझौते का निष्पादन और वितरण सीएनएस/एटीएम समझौते के खंड **11.2** में प्रदान किए गए ऐसे समनुदेशन (या जैसा भी मामला हो**,** प्रभार) और भावी समनुदेशन के लिए इसकी उचित लिखित सहमति है।

ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सहमत है कि:

i. यदि बंधक ट्रस्टी ने कंपनी द्वारा दिए गए सुरक्षा हितों के अनुसार कंपनी के स्थान पर स्वयं या अपने नामिनि को सीएनएस/एटीएम समझौते के तहत कंपनी के रूप में प्रतिस्थापित करने के अपने अधिकारों का प्रयोग करना चुना है**,** तो ऐसा बंधक ट्रस्टी या उसका नामिनि कंपनी के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाएगा**;** और

ii. यदि बंधक ट्रस्टी कंपनी द्वारा दिए गए सुरक्षा हितों के तहत उपचार के प्रयोग के अनुसरण में संपार्श्विक के सभी या किसी भी हिस्से को बेचता है या अन्यथा निपटान करता है (फोरक्लोजर द्वारा या अन्यथा)**,** तो खरीदार**,** बंधक ट्रस्टी के अनुरोध पर और एएआई की पूर्व लिखित सहमति के साथ**,** जिसे अनुचित रूप से रोका नहीं जाएगा**,** सीएनएस/एटीएम समझौते के तहत कंपनी के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाएगा**,** और दोनों ही मामलों में**,** प्रतिस्थापित पक्ष बेचे गए या निपटाए गए ऐसे संपार्श्विक के संबंध में कंपनी के सभी अधिकारों**,** हक और हितों का उत्तरधिकारी होगा और सीएनएस/एटीएम समझौते के तहत कंपनी के रूप में ऐसे सीएनएस/एटीएम समझौते के लाभों का प्रदर्शन कर सकता है और उसका हकदार होगा जैसे कि वह सीएनएस/एटीएम समझौते के तहत कंपनी हो।

ग**)** भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सहमत है कि वह सीएनएस/एटीएम समझौते के तहत कंपनी को देय राशि का भुगतान विशेष रूप से सीधे और तत्काल उपलब्ध फंड में (हवाई अड्डे के स्थान का नाम) खाते में करेगा जैसा कि बंधक ट्रस्टी समय-समय पर निर्देश दे सकता है (और कंपनी इसके द्वारा एएआई को उपर्युक्त अनुसार ऐसे भुगतान करने के लिए अधिकृत और निर्देशित करती है)। कंपनी द्वारा दिए गए सुरक्षा हितों के अनुसरण में बंधक ट्रस्टी या उसके नामिनि द्वारा अपने अधिकारों के प्रयोग की स्थिति में**,** एएआई सीएनएस/एटीएम समझौते के तहत एएआई से देय राशि का भुगतान सीधे बंधक ट्रस्टी को या बंधक ट्रस्टी के आदेश के अनुसार करने के लिए बंधक ट्रस्टी से प्राप्त किसी भी और सभी लिखित निर्देशों का पालन करेगा**,** पिछले वाक्य में नामित खाते में ऐसे धन का भुगतान करने के एवज में (ऐसे भुगतानों के अन्य सभी नियम और शर्तें पिछले वाक्य में प्रदान किए गए अनुसार ही रहेंगी) और कंपनी को इन राशियों का भुगतान करने के अपने दायित्वों की पूर्ण संतुष्टि में।

घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सहमत है कि वह बंधक सुरक्षा ट्रस्टी को बंधक के अनुसार कंपनी का सच्चा और वैध वकील मानेगा।

ङ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सहमत है कि वह बंधक ट्रस्टी को नोटिस जारी किए बिना सीएनएस/एटीएम समझौते को समाप्त नहीं करेगा या उसके तहत अपने दायित्वों के प्रदर्शन को निलंबित नहीं करेगा।

च) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सहमत है कि बंधक ट्रस्टी नोटिस को जन्म देने वाली घटना को सुधारने के लिए आवश्यक सीएनएस/एटीएम समझौते की शर्तों के अनुरूप कार्रवाई करने या कराने का हकदार होगा।

छ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सहमत है कि वह सीएनएस/एटीएम समझौते के खंड **10.1** के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को हकदार बनाने वाली किसी भी घटना के घटित होने पर सुरक्षा ट्रस्टी को तुरंत सूचित करेगा और सुरक्षा ट्रस्टी को (कंपनी को ऐसे नोटिस जारी करने के साथ-साथ) ऐसी घटनाओं के घटित होने के किसी भी नोटिस की एक प्रति प्रदान करेगा जिसमें उसके तहत सुधार अवधियों की समाप्ति से पहले और बाद का कोई भी नोटिस शामिल है।

ज) यह समझौता भारत के कानूनों के अनुसार शासित और उसके अनुसार निर्मित होगा। **i)** इस समझौते से उत्पन्न होने वाला या इसके संबंध में कोई भी विवाद या अंतर**,** इसकी प्रकृति की परवाह किए बिना**,** सीएनएस एटीएम/समझौते के खंड **12** के प्रावधानों के अनुसार विवाद समाधान के लिए संदर्भित किया जाएगा**,** जो प्रावधान संदर्भ द्वारा यहाँ शामिल किए जाते हैं और ऐसा बनाया जाता है मानो ऐसे प्रावधान यहाँ पूरी तरह से निर्धारित किए गए हों।

झ) सीएनएस एटीएम/समझौते के खंड **18** के प्रावधान इस समझौते पर लागू होंगे और संदर्भ द्वारा यहाँ शामिल किए जाते हैं और इसका एक हिस्सा बनाए जाते हैं मानो ऐसे प्रावधान यहाँ पूरी तरह से निर्धारित किए गए हों।

ञ) यह समझौता ऋणदाताओं को देय कोई बकाया ऋण न होने की तिथि पर इसके किसी भी पक्ष द्वारा किसी अन्य कार्रवाई के बिना समाप्त हो जाएगा।

ट) यह समझौता प्रभावी तिथि पर प्रभावी होगा।

आपका**,**

वायआईएपीएल

द्वारा: ____________________

नाम:

शीर्षक:

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इस समझौते की उपरोक्त शर्तों को स्वीकार करता है और [*] दिन के [*] के रूप में उनके द्वारा बाध्य होने के लिए सहमत है।

द्वारा: ____________________

नाम:

शीर्षक:

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा इस समझौते के निष्पादित होने की तारीख से इसे स्वीकार**,** स्वीकार और सहमति दी जाती है।

[*], बंधक ट्रस्टी के रूप में।

द्वारा: ____________________

नाम:

शीर्षक: